@@ * i l&&ukV * @@

fnukd& 16@09@2011

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

Pkkj ifg;k vUrjjkT th; pkj fxjkg idMk;k
rhu vkjkfi;k 14 ekeyk dk [kyklk
17 yk[k dh rhu xkfM;k Ldkfi;k] ckyjk] bfMxk cjken
Økbe cakp dh dk;okgh

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

पुलिस अधीक्षक श्री ओ.पी पाल (भा.पु.से) के निर्देशन तथा अ.पु.अ. (शहर) श्री प्रंशात ठाकुर के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच की टीम को चार पहिया अन्तरराज्जीय चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है चोर गिरोह का सरगना मनोज अग्रवाल उर्फ चोंपू आ0 अशोक अग्रवाल उम्र 27 साल साकिन 36 माल के सामने हाउसिंग बोर्ड़ कालोनी तेलीबांधा रायपुर तथा शब्बो उर्फ अब्बास आ0 शहाबुद्द्वीन रजा उम्र 28 साल साकिन भानुपरी जगदलपुर, मल्कीत सिंह आ0 करनेल सिंह उम्र 21 साल साकिन पुरानी बस्ती कोहका भिलाई गिरफ्त में आये है। क्राईम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक व्ही.डी. नंद तथा डीएसपी श्री आर.डी. मौर्य ने आरोपियों से पूछताछ की तो इन्होनें ने टैगोर नगर रायपुर से इंडिका विस्टा सीजी 04 एच बी 4319 , सफेद इंडिगो सीजी 05 एफ 6611 , देवेन्द्र नगर रायपुर से विस्टा सीजी 04 एच सी 0374 ,गायत्री नगर रायपुर से इंडिगो सीजी 04 एचडी 1975 , सिमगा से टाटा विस्टा , राजनांदगांव से सीजी 08 1467 , स्कार्पियों सीजी 08 के 0421 , भाठापारा से सिल्वर विस्टा , बिलासपुर से लाल बोलेरो , दल्लीराजहरा से बोलेरा सीजी 04 एच सी 1672 , रिसाली भिलाई से सफेद बोलेरो सीजी 07 एम 7014 , सिमगा से सीजी 04 एच ए 5896 चोरी करना बताया है। आरोपीगण वाहन चोरी कर जगदलपुर के महेन्द्र उर्फ छोटू महापात्र आ0 कृष्णा मुरारी महापात्र तथा जैपुर (उड़ीसा) के अजय गुप्ता आ0 त्रिवेणी प्रसाद गुप्ता को देते थे। इन्होनें ने ही चोरी की वाहनों को उड़ीसा , जगदलपुर व अन्य क्षेत्रों में खपाया है। चोरी में मनोज , शब्बो एवं मल्कीत के साथ कोहका निवासी अन्य आरोपी भी शामिल था। छोटू महापात्र की गिरफ्तारी हेतु पार्टी भेजी गई है। अजय गुप्ता/आरटीओ एजेन्ट बेनीफॅर्नाडीज , सूजीत नाग दोनों निवासी जगदलपुर का बिलासपुर जेल में होना पता लगा है इनकी अपराध में सहभगिता की जांच जारी है। क्राईम ब्रांच ने आरोपियों से अब तक इंडिगो सीजी 05 एफ 6611 , स्कापियों सीजी 08 ए 0421 तथा बोलेरो ओ.आर.18 ए 3732 जप्त किया है। आरोपी मनोज अग्रवाल ,शब्बो उर्फ अब्बास तथा मल्कीत सिंह को पुलिस रिमाण्ड में लेने की कार्यवाही की जा रही है। सरगना मनोज अग्रवाल पूर्व में भी क्राईम ब्रांच द्वारा चैन स्नेचिंग एवं लक्जरी चार पाहिया गाड़ी में पकड़ा जा चुका है। सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि प्रमोद रूसिया, प्र0आर0 भानुशंकर, अशोक साहू, चन्द्रशेखर सोनी, करण , आर0 भरत यादव , जावेद खान, बी.वीर नारायण , दिनेश सिंह , परमजीत सिंह , किशोर सोनी , सगीर खान , डीकेश सिन्हा , शवाबुद्द्वीन की उल्लेखनीय भूमिका रही है।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * il&&ukV * @@

fnukd& 9@09@2011

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

Vd pkjh dj yh tkrs nks vkjksih fxj¶rkj
,d 6 pDdk Vd dherh 8 yk[k :0 dk e'k: dk cjken

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे वाहन चोरी की वारदात के प्रकरणों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री ओ.पी.पाल (भा.पु.से.) के निर्देशन व अति0 पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री मनीष शर्मा एवं उप पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री आर.डी. मौर्य के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्र में चोरी की वारदात करने वाले अपराधियों की सुरागरसी हेतु क्राईम ब्रांच की टीम निरीक्षक व्ही.डी.नंद के नेतृत्व में दिनाँक 9/09/2011 को मुखबीर की सूचना पर ग्राम दरबार मोखली (रानीतरई) के पास एक ट्रक सीजी 04 जेडसी 3953 को चोरी कर ले जाते आरोपी 1.फरीद खान आ0 ईदु खान उम्र 28 साल ग्राम किकिरमेटा थाना रनचिरई जिला दुर्ग 2. मोहन प्रसाद दुबे आ0 रामप्रसाद दुबे उम्र 45 साल साकिन लाल बगीचा नागदेव चौक धमतरी को पकड़कर पूछताछ करने पर वाहन के संबंध में कोई कागजात पेश नहीं किया तथा उक्त वाहन ट्रक को धमतरी से चोरी कर लाना बताया कि दोनों आरोपियों के विरूद्व थाना रानीतरई में अपराध क्रं. 02/2011 धारा 41(1+4) जा0फौ , 379 भादवि की कार्यवाही कर क्षेत्र में चोरी गये अन्य वाहन के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में, क्राईम ब्रांच के सउनि प्रमोद रूसिया , प्र0आर0 चन्द्रशेखर सोनी , अशोक साहू , भानुशंकर साहू , आर0 भरत यादव, बी.वीर नारायण, दिनेश सिंह , परमजीत सिंह ,डीकेश सिन्हा, जावेद खान , शवाबुद्द्दीन थाना रानीतरई के उनि बृजेश कुशवाहा सउनि आर.एस. त्रिपाठी की भूमिका सराहनीय रही।

@@ *_ i|l&&ukV *@@

fnuk|d 8@09@2011

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

d|[;kr Md|r lkgc nkl mQ| v’ouh d|j| fxj¶rkj
n t|uk| Md|rh dk vkjkih g| lkgc nkl
vkthou dkjkokl d| n.M l| Fkk Qjkj

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

पुलिस अधीक्षक श्री ओ.पी.पाल (भा.पु.से.) के निर्देशन व अति0 पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री मनीष शर्मा एवं उप पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री आर.डी. मौर्य के मार्गदर्शन में दुर्ग पुलिस ने कुख्यात डकैत साहेबदास उर्फ अश्वनी कुर्रे आ0 सुदर्शन सतनामी उम्र 55 साल ग्राम चाकापेन्ड्रा थाना नांदघाट जिला दुर्ग को गिरफ्तार करने की सफलता प्राप्त की है। डकैत साहेबदास उर्फ अ वनी कुर्रे पर 13 डकैतियों के आरोप है वर्ष 1978 में ग्राम रामपुर नांदघाट से इसने दो नाल की बंदूक व गोलियॉ चोरी किया था और अपने साथी कुमार , मोतीलाल , ईमामशाह , प्रेमचंद , परस , फुजदास के साथ डकैती डालने में सक्रिय हो गये दुर्ग के नवागढ़ (गोड़ीकला) ग्राम धरदई (पथारिया) सकेत (पथारिया) टेकारी (बिलासपुर) मस्तूरी , फरहदा (पथारिया) सोनडोंगरी (धमधा दुर्ग) गंडई (राजनांदगांव) आदि स्थानों में डकैती का अपराध किया यह दुर्ग , बिलासपुर के जेल में रहा है तथा डकैती से प्राप्त रकम से वर्ष 2002 में गाजियाबाद (उ0प्र0) के सरस्वती बिहार कालोनी मेरठ रोड़ में आलीशान मकान भी बनवाया है। इसको डकैती के मामलें में माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई थी आजीवन कारावास की अवधि के दौरान यह जमानत पर छूट कर फरार हो गया था। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तीन प्रकरणों में गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये है पंडरिया जिले व अन्य जिलों में इसके गिरफ्तारी वारंट है सन् 1995 से 2002 तक बिलासपुर जेल में रहा। जमानत से फरार होने के बाद अब तक इसकी कार गुजारी की तस्दीक की जा रही है। डकैत को पकड़ने में क्राईम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक व्ही.डी. नंद तथा थाना प्रभारी नांदघाट अनूप वाजपेयी की सयुक्त टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * izsl&&ukV * @@

fnukad 10@08@2011

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

Økbe czkap dh dk;Zokgh
xzke nsojh ijlqyh esa nksgjh gR;k dh xqRFkh lqy>h
nks gR;kjs gfFk;kj lfgr fxj¶rkj

&& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

दिनाँक 8/08/2011 के रात्रि 21:00 बजे दो अज्ञात आरोपियों द्वारा नागेन्द्र यादव ग्राम परसुली थाना देवरी के घर में दीवार फांद कर अंदर प्रवे ा कर मृतिका श्रीमती भामिन बाई उम्र 25 साल तथा सास श्रीमती कुमारी बाई उम्र 40 साल की हत्या कर पति नागेन्द्र यादव द्वारा बचाने जाने पर प्राण घातक हमला कर फरार हो गये गंभीर रूप से घायल नागेन्द्र यादव द्वारा अपने रिस्तेदार टीकम आ0 कृष्णा यादव उम्र 36 साल साकिन सिरपुर को सूचना दिये जाने पर प्रार्थी टीकम यादव द्वारा धटना की सूचना थाना देवरी को तत्काल दिया गया जिसकी रिपोर्ट पर थाना देवरी में अपराध क्रं. 64/2011 धारा 302, 307, 460 भादवि पंजीबद्व कर तत्काल सूचना वरिष्ठ अधिकारियों की दी गई तथा गंभीर रूप से घायल नागेन्द्र यादव को ईलाज हेतु अस्पताल भेजा गया कि सूचना पर तत्काल मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री मनी ा भार्मा, अनुविभागीय अधिकारी श्री अ ोक पिपरे एवं श्री बी.पी. मैथिल प्रभारी एफएसएल जिला दुर्ग पहुंचे तथा घटना स्थल पर बरीकी से अवलोकन कर दो अज्ञात आरोपियों को पकड़ने हेतु निरीक्षक व्ही.डी. नंद प्रभारी क्राईम ब्रांच भिलाई जिला दुर्ग को निर्दे ात किये पतासाजी हेतु सउनि दया ंकर पाण्डेय की टीम को लगाया गया। पतासाजी के दौरान जारिये मुखबीर से सूचना मिली कि मृतिका भामिन बाई पति नागेन्द्र यादव उम्र 25 साल साकिन परसुली का मायका खिलावन यादव साकिन पऊवारा थाना उतई का पता चला तथा ये भी सूचना मिली कि मृतिका भामिन बाई यादव से ग्राम पऊवारा का ही भगवानी यादव आ0 बुधारू राम यादव उम्र 25 साल का करीबन पिछले चार साल से प्रेम संबंध चल रहा था जिसे वह अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता था इसी बीच भामिन बाई के घर वाले उसकी भाादी नागेन्द्र यादव साकिन परसुली से मई 2011 में कर दिये फिर भी भगवानी यादव का प्रेम प्रंसग बातचीत चलती रही। भगवानी यादव सेना में चालक के पद पर नौकरी करता है जो दिनाँक 1/08/2011 को अवका ा पर मूल निवास पऊवारा आया हुआ था दिनाँक 8/08/2011 को भामिन बाई से मोबाईल पर बात होने पर अपने दोस्त विवेक साहू आ0 धनसाय साहू उम्र 27 साल साकिन पऊवारा को अपनी मोटर सायकल हीरो हीण्डा स्प्लेण्डर में बैठाकर भामिन बाई की ससुराल परसुली गये करीबन 1:00 बजे भामिन बाई से मिलकर बातचीत किये तथा वापस वहां से निकल गये भगवानी ने भामिन बाई से अकेले में बातचीत करने हेतु पुनः बुलाया और वापस मिलने गया किंतू भामिन बाई ने अकेले में मिलने से मनाकर दिया इसी बात पर भगवानी यादव क्रोधित होकर राजनांदगांव गया तथा वहां से धारदार चाकू तथा दो काले रंग की टी सर्ट (बनियान) खरीदे रात करीबन 9:00 बजे प्रेमिका भामिन बाई के घर पहुंचे दीवाल फांद कर दोनों अंदर घुसे भगवानी यादव द्वारा भामिन का मुंह दबाकर गला रेत दिया भामिन बाई की सास कुमारी बाई छुडाने दौड़ी तो उसका भी मुंह दबाकर गला रेतकर दोनों की हत्या कर दिया इसी बीच नागेन्द्र उठकर छुडाने दौड़ा तो विवेक साहू ने चाकू मारकर प्राणघातक हमला कर दिया जिससें नागेन्द्र यादव गिर पड़ा उसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गये कि सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को क्राईम ब्रांच की टीम एवं थाना देवरी पुलिस की सयुक्त टीम द्वारा पकड़कर विधिवत पूछताछ की गई तथा बतायेनुसार खून लगे कपड़े तथा चाकू तथा घटना में प्रयुक्त हीरो होण्डा स्प्लेण्डर मोटर सायकल बरामद किया गया आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पे ा किया गया।

उक्त कार्यवाही में क्राईम ब्रांच के सउनि दयाशंकर पाण्डेय, प्र0आर0 राजेश पाण्डेय, पवन सिंह, केशव दयाल तिवारी, आर0 दीपक गोस्वामी, रामनारायण यदु, चालक आर0 योगेश श्रीवास्तव, बंसत तथा थाना देवरी के निरीक्षक एम.आर.नायक सउनि विजय मण्डलेश, महेश रजक की भूमिका सराहनीय रही।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * il&&ukV * @@

fnukd 17@07@2011

& & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & &

fHkykbl 3 lkeuh jkM ij g, v/k dRy dk 24 ?kV d vnj [kyklk

vklukbl d dkj.k gbl gR;kA e[; vkjkih bUnthr flg lfgr 5 vkjkih fxj¶rkj

?kVuk e i;Dr ekVj lk;dy cjken

Økbe czkp dh dk;okgh

& & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & &

दिनॉक 15/07/2011 को रात्रि में सिरसा गेट–सोमनी रोड़ पर एनएसपीसीएल पंप हाउस के सामने हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में क्राईम ब्रांच को सफलता मिली है। घटना को आरोपी इन्द्रजीत सिंह उर्फ इन्दे आ0 मुख्तार सिंह उम्र 34 साल साकिन न्यू खुर्सीपार भिलाई ने अपनी कथित पत्नि सानू जांगडे उर्फ अन्नू आ0 राम ारण जांगडे उम्र 22 साल साकिन सोमनी थाना उतई एवं एक अन्य लड़की दुर्गा ठाकुर आ0 मनोज ठाकुर उम्र 17 साल साकिन स्वरूप टाकिज के पीछे थाना मोहन नगर दुर्ग के साथ मिलकर अंजाम दिया था। आरोपी इन्द्रजीत सिंह पूर्व में हत्या तथा मारपीट के प्रकरण में चालान भी हुआ है। घटना के 24 घंटे के अंदर त्वरीत कार्यवाही करते हुए क्राईम ब्रांच की टीम सभी हत्यारों को पकड़ने में सफल रही।

विदित हो की दिनाँक 15/07/2011 को सिरसागेट–सोमनी मुख्य मार्ग पर रात्रि लगभग 23:00 एक अज्ञात पुरूष का शव एनएसपीसीएल पंप हाउस के सामने पड़ा मिला जिसके गले को धारदार हथियार से काटकर हत्या की गई थी। सूचना पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ाहर) श्री एम.एल.कोटवानी , क्राईम ब्रांच की टीम एवं थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव मिश्रा के द्वारा मौक पर पहुंच कर प्रकरण के संबंध में जांच प्रांरभ की गई एवं प्रकरण में अपराध क्रं. 341/2011 धारा 302 भादवि कायमकर विवेचना एवं जांच प्रांरभ की गई प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) द्वारा क्राईम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी की टीम को दी गई।

मर्ग जांच के दौरान मृतक के पेट की जेब से पर्स मिला जिसमें मोबाईल न0 के आधार पर पता चला कि मृतक पेसे से ड्रायवर है, जो वाहन क्रं. सीजी 04 जेए 7542 को चलाता था जिसका नाम ज्ञान सिंह उर्फ क मीर सिंह आ0 हरनाम सिंह उम्र 30 साल साकिन ि ावाजी नगर खुर्सीपार का रहने वाला है जो मूलतः ग्राम + थाना खडुर साहेब , जिला अमृतसर (पंजाब) का रहने वाला था।

प्रकरण में आरोपी पतासाजी के दौरान क्राईम ब्रांच टीम को पता चला कि ग्राम सोमनी की रहने वाली सानु जांगडे उर्फ अन्नू आ0 राम ारण जांगडे उम्र 22 साल के यहां मृतक ज्ञान सिंह का आना जाना था तथा घटना के बाद से सानु जांगडे उर्फ अन्नु गायब है , यह भी जानकारी मिली की सानु जांगडे के घर में खुर्सीपार का बदमा ा इन्द्रजीत सिंह उर्फ इन्दे आ0 मुख्तार सिंह उम्र 34 साल का भी आना जाना था तथा इन्द्रजीत सिंह सानु जांगडे से कथित रूप से भाादी कर पति–पत्नि के रूप में रहते थे। इन्द्रजीत की पतासाजी पर वह भी गायब मिला जिससें दोनों पर हत्या में भाामिल होने का भाक बढ़ गया। दोनों के पतासाजी के दौरान मुखबीर की सूचना पर चरौदा बस स्टैण्ड के पास से भागने की फिराक में बैठे इन्दजीत सिंह , सानु उर्फ अन्नू जांगडे एवं दुर्गा ठाकुर उम्र 17 साल नाम की लड़की को पकड़ा जाकर पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हुआ।

पूछताछ पर आरोपीगण ने बताया कि सोमनी निवासी अन्नू उर्फ सानु जांगडे से मृतक ज्ञान सिंह के तीन वर्ष से संबंध थे इस बीच मुख्य आरोपी इन्द्रजीत सिंह उर्फ इन्दे से सानु जांगडे की मुलाकत हुई व दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई तथा दोनों पति–पत्नि के रूप में रहने लगे इसके

बावजूद मृतक ज्ञान सिंह का सोमनी में सानु उर्फ अन्नू जांगडे के घर आना जाना लगा रहा जिस पर इन्द्रजीत सिंह को आपत्ति थी इस बात को लेकर इन्द्रजीत सिंह तथा मृतक के बीच झगड़ा विवाद भी होता था। घटना दिनाँक 15/07/2011 को आरोपी इन्द्रजीत सिंह ने अपनी पत्नि सानु उर्फ अन्नू जांगडे के साथ मिलकर मृतक ज्ञान सिंह की हत्या की सांजिश रची जिसमें उसने अपने भाई अमरजीत सिंह को भी भाामिल किया। योजना के तहत इन्द्रजीत ने मृतक को भाराब एवं मुर्गा की पार्टी के लिए सोमनी बुलाया। भााम 6:00 बजे मृतक सोमनी सानु जांगडे के घर आया जहां इन्द्रजीत , सानु एवं दुर्गा ठाकुर तीनों साथ भोजन किये। इन्द्रजीत ने मृतक को खुद भाराब पिलाया जब मृतक न ो में बेसुध हो गया तो इन्द्रजीत , सानु जांगडे एवं दुर्गा ठाकुर हीरो होण्डा मोटर सायकल सीजी 04 जेएन 0589 में मृतक को बैठाकर एनएसपीसीएल पंप हाउस के सामने सुनसान कच्ची सड़क पर ले गये जहां सानु एवं इन्द्रजीत दोनों मिलकर ज्ञान सिंह को पटक कर साथ ले गये चाकू से उसका गला काटकर उसे मरा समझकर उसकी जेब से मोबाईल निकाले एवं मोटर सायकल से भागकर खुर्सीपार पहुंचे जहां घटना की जानकारी इन्द्रजीत द्वारा अपने भाई अमरजीत सिंह को एवं भतीजे प्रीतम सिंह को दी गई फिर साक्ष्य छुपाने इन्द्रजीत घटना समय पहने कपड़े , एवं जुते को धोकर घर में छुपा दिया मोबाईल भी घर में छुपा दिया एवं घर से आटो सीजी 04 टी 6364 लेकर मृतक के भाव को ठिकाने लगाने घटना स्थल निकले, जब तक पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गयी थी अतः लाश को ठिकाने नहीं लगा सके एवं रात में आटो से ललित सोनकर के घर जाकर स्वयं को सेक्टर 9 अस्पताल से ईलाज कराकर आना बोलकर रूके व प्रातः वहां से सोमनी सानु जांगडे के घर जाकर मोटर साकयल सीजी 04 टी 6364 को छुपा दिये एवं लुकते छिपते उड़ीसा भागने के फिराक में चरौदा बस स्टैण्ड में बस का इंतजार करते हुए पकड़े गए। प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी की जाकर नि ाानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं मोबाईल की जप्ती की गई है।

संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक संजीव मिश्रा थाना प्रभारी भिलाई 3 , उनि कमलेश सेन्डे प्र0आर0 भोपाल सिंह , आर. एवन बंछोर , संतोष राय एवं क्राईम ब्रांच के सउनि रामअवतार यदु , प्र0आर0 राजकुमार , पवन सिंह , रमाशंकर सिंह आर0 जसपाल , धर्मराज ,नरेश कुमार , चन्द्रशेखर सिंह , प्रदीप सिंह , अखिलेश मिश्रा , परस राम , बंसत कुमार सराहनीय योगदान रहा।

& & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * i`l&&ukV * @@

fnukd 6@07@2011

& & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & &&

Økbe cøkp dh dk;Zokgh
dqEgkjh fgEer LVhy dkyksuh esa gq, vU/ks dRy ,o
iqjkuh fHkykbZ esa nks udcctuh esa izdj.k dk [kqykl k
pksjh dh fu;r ls ?kj esa izo'sk dj dh Fkh gR;k
50]000 :i;s ewY; ds eky ds lkFk 02 vkjksih fxjQrkj

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && & & & & & & & & & & & & & & & & &&

एक माह पूर्व कुम्हारी हिम्मत स्टील कालोनी में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में काईम ब्रांच को सफलता मिली है। प्रकरण में शामिल दोनो आरोपी शातिर नकबजन है। जिनमें एक मूलतः कुम्हारी एवं दूसरा बिलासपुर का रहने वाला है दोनों नकबजनी, चोरी व ट्रेन में उठाईगिरी करते है। घटना दिनांक की रात्रि को दोनो आरोपीगण चोरी की नियत से मृतक नितिन गज्जर के घर में धुसे थे लेकिन मृतक के जग जाने पर पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर देना बताया है। पूछताछ पर आरोपीगण ने थाना पुरानी भिलाई में नकबजनी के दो प्रकरणों में शामिल होने का खुलासा किया है। जिसमें चोरी गये लगभग 50,000 रूपये मूल्य का सामान भी बरामद किया गया है।

विदित हो कि दिनांक 06/06/11 के 14.30 बजे हिम्मत स्टील कालोनी के निवासी प्रार्थी कमलेश गज्जर आ. अमृतलाल गज्जर 42 साल ने कुम्हारी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 05–06/06/11 की रात्रि में नितिन गज्जर आ. हिम्मत लाल गज्जर के हिम्मत स्टील कालोनी स्थित रहवासी मकान में नीतिन गज्जर मृत पड़ा है व घर का सामान अस्त–व्यस्त पड़ा है, पीछे का दरवाजा खुला है, रिपोर्ट पर थाना कुम्हारी के अपकं. 164/11 धारा– 302, 449 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मौके पर घटना स्थल का निरीक्षण अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री एम. एल. कोटवानी, विधि विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. बी.पी. मैथिल एवं सी.एस.पी. छावनी श्री यू.बी.एस. चैहान द्वारा किया गया। प्रथम दृष्टया घटना देखने से पाया गया कि मृतक नितिन गज्जर की हत्या जी.आई. वायर से उसका गला घोटकर किया गया है। प्रकरण के अज्ञात आरापी की पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री अमित कुमार (भापुसे) द्वारा काईम ब्रांच प्रभारी एस. पी. तिवारी को निर्देशित किया गया।

अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री एम.एल. कोटवानी एवं श्री यू.बी.एस. चौहान सीएसपी छावनी एवं उप पुलिस अधीक्षक (काईम) श्री आर.डी. मौर्य के मार्गद न में आरोपी पतासाजी के कम में काईम ब्रांच टीम को मुखबीर से सूचना मिली की कुम्हारी रेल्वे स्टेशन के पास दो लड़के चोरी का सामान बेचने ग्राहक की तला । कर रहे है। सूचना पर काईम ब्रांच द्वारा रेड कर मौके से 1– मनोज वर्मा उर्फ खुरू आ. खिलावन वर्मा 21 सा. सा. कुम्हारी डीएमसी के पास हाल– सूरजपुर भाठापारा (ग्रामीण) एवं 2– बाबीन खान आ. रज्जू खान 19 साल सा. चुचुहियापारा थाना तोरवा बिलासपुर को पकड़ा जाकर पूछताछ किया गया तो आरोपी मनोज वर्मा पहले अपना नाम रधुवीर शर्मा 19 साल सा. बिलासपुर का होना बताया लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह कुम्हारी का पुराना नकबजन है, जिसके विरूद्व थाना कुम्हारी में नकबजनी एवं वाहन चोरी के तीन मामले पूर्व से पंजीबद्व है तथा एक मामले में वह फरार भी है पूछताछ पर दोनो आरोपियों ने घटना का खुलासा करते हुये बताया कि मनोज वर्मा एवं बाबीन खान दोनो ट्रेन में पानी बोतल बेचने का काम करते है तथा उसी बहाने ट्रेन मे उठाईगिरी एवं चोरी का धंधा करते है। दिनांक 05.06.11 को दोनो लिंक एक्सप्रेस से बिलासपुर से रवाना हो कर रास्ते में चोरी की योजना बनायें एवं कुम्हारी रेल्वे स्टेशन पर उतर गये वहां से पैदल दोनो कुम्हारी वैद्य पेट्रोल पंप के बाजू से होते हुये नितिन गज्जर के घर के पिछवाड़े पहुंचे देखे नितिन गज्जर अकेला था एवं खिचड़ी बना रहा था वहीं रूक कर इंतजार किये नितिन गज्जर खिचड़ी खाकर कमरे में सो गया रात लगभग 12.00 बजे आरोपी मनोज वर्मा बाबीन को बाहर देखते रहना बोलकर मृतक के मकान का पिछला दरवाजा धक्का दे कर खोल कर अंदर दाखिल हुआ तथा मृतक की पेंट की जेब से 150 रूपये नगद एवं मोबा. चोरी कर अंदर के कमरे के अलमारी को तोड़ने लगा उसी समय नितिन गज्जर जाग गया एवं आरोपी मनोज वर्मा को पीछे से पकड़ लिया आपसी धक्का–मुक्की के

दौरान नशे में होने के कारण आरोपी भारी पड़ा एवं नितिन गज्जर को घसीटते हुये सामने दरवाजे तक ले जाकर फर्श पर पटक दिया एवं पास में पड़े जी.आई. तार से उसकी छाती पर बैठ कर उसका गला दबाकर हत्या कर दी।

पुनः दोनो आरोपी मिल कर घर के पूरे सामान एवं अलमारी तोड़कर देखे कुछ नहीं मिलने पर आरोपी के कुछ कपड़े आदि को लेकर रात्रि लगभग 4.00 बजे पैदल टाटीबंध की ओर जा रहे थे। उसी समय पुलिस गाड़ी की आवाज सुनने पर नितिन गज्जर के घर से चुराये कपड़े को खारून नदी पुल के नीचे छुपा दिये व टाटीबंध चौक चले गये वहां से आटो से रायपुर रेल्वे स्टे ान होते हुये ट्रेन से बिलासपुर चले गये।

पूछताछ पर आरोपीयों ने घटना दिनांक 16.06.11 को रात्रि के प्रार्थी आर.एस.पी. राव आ. स्व. आर.पी.एन. मूर्तिं सा. चरोदा भिलाई के घर से सोने चांदी के जेवरात कीमती 20,000 रूपये की चोरी करना एवं दिनांक 28–29.06.11 की दरम्यानी रात में प्रार्थी मोह. सरवर आ. अब्दुल अजीज 37 साल सा. पंचशील नगर चरोदा के सूने मकान से सोने चांदी के जेवरात कीमती 30,000 रूपये की चोरी करना कबूल किया जिनकी निशादेही पर उक्त माल की भी बरामदगी की गई है। ओरापीगण को थाना कुम्हारी एवं भिलाई–3 के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।

सम्पूर्ण कार्यवाही में क्राईम ब्रांच के सउनि– रामअवतार यदु, प्रआर. हेमन्त त्रिपाठी, रमाशंकर आरक्षक– धरमराज नरेश, प्रदीप ठाकुर, परस राम, चन्द्रशेखर, दुर्गेश कुमार, बसंत एवं कुम्हारी थाना प्रभारी उप निरीक्षक लल्लन सिंह, सउनि पी.आर. साहू एवं थाना भिलाई–3 के प्र.आर.– ददन सिंह, दिनेश रजक की सराहनीय योगदान रहा।

& & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & &&

@@ * i/l&&ukV * @@

fnukd 4@06@2011

& & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & &&

Økbe czkap dh dk;Zokgh
nqxZ ds cgqpfpZr jktdqekj gR;kdk.M dk [kqyklk
O;olkf;d ikVZuj /keZsUnz “kkg fudyk eq[; vkjksih
06 yk[k es nh Fkh lqikjh
jkph ¼>kj[k.M½ ds nks O;olkf;d 'kwVj ls djok;h Fkh gR;k
nks gR;kjs lfgr 04 vkjksih fxjQrkjA

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && & & & & & & & & & & & & & & & & &&

दुर्ग कोतवाली थाना अंतर्गत पोलसाय पारा में हुये बहुचर्चित राजकुमार हत्याकाण्ड का खुलासा करने में काईम ब्रांच को सफलता मिल गई है। हत्याकाण्ड का मास्टर माइंड राजकुमार साहू का व्यावसायिक पार्टनर धर्मेन्द्र शाह है, जिसके साथ मृतक ने अपने फुर्सत बार के उपर कृपा एक्वा के नाम से मिनरल वाटर का प्लांट लगाया था हत्या के मुख्य वजह रकम का आपसी लेनदेन है। घटना को अंजाम देने के लिये धर्मेन्द्र शाह ने जगदलपुर के कुख्यात आरोपी मधु नायर की मदद् से रॉची (झारखण्ड) के दो शूटर (1) मोह. सलीम उर्फ भोलू आ. असलम खान, 22 साल, सा. भट्ठा मोहल्ला हरमू थाना अरगोड़ा रॉची एवं (2) मोह. हुसैन आ. मोह. नजीर, 24 साल, सा. भट्ठा मोहल्ला हरमू थाना अरगोड़ा रॉची (झारखण्ड) को बुलाकर घटना के एक सप्ताह पूर्व से रेकी कराया एवं अपने सहयोगी मोह. गुलजार आ. मोह. रफीक, 28 साल, सा. मिलपारा दुर्ग के यहॉ रूकवाया था। विदित हो कि दिनांक 03.04.11 को प्रातः 8.00 बजे पोलसाय पारा स्थित मधुबन हेयर कटिंग दुकान से जब राजकुमार साहू बाल बनवाकर बाहर निकल रहा था, उसी समय दो अज्ञात मोटर सायकिल सवार हत्यारों ने राजकुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी एवं फरार हो गये थे। प्रकरण की गंभिरता को देखते हुये पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग श्री आर.के. विज (भापुसे) द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर आव यक दिशा निर्देश दिया गया था। शहर के इस बहुचर्चित हत्याकाण्ड को सुलझाने के लिऐ पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग श्री आर.के. विज के मार्गद न में पुलिस अधीक्षक दुर्ग, श्री अमित कुमार (भापुसे) द्वारा अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री एम0एल0 कोटवानी एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), श्री मनीष शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें सी.एस.पी. दुर्ग, श्री रविन्द्र उपाध्याय, सी. एस.पी. छावनी, श्री यू.बी.एस. चौहान, काईम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी एवं दुर्ग नगर निरीक्षक संजय देवस्थले सहित काईम ब्रांच की टीम को शामिल किया गया था।

प्रकरण की विवेचना के कम में राजकुमार साहू के व्यवयाय एवं जमीन के सौदे से संबंधित सारे बिन्दुओं को एक–एक कर खंगाला गया एवं बारिकी से जांच की गई।

विवेचना के कम में मुखबीर से जानकारी मिली की राजकुमार साहू के व्यवसायिक पार्टनर धर्मेन्द्र शाह आ. विभीषण शाह, 32 साल, सा. सुभाष नगर दुर्ग का मृतक से उधारी की रकम लेन–देन का विवाद चल रहा था, धर्मेन्द्र शाह मृतक से लगभग 50–60 लाख रूपये उधारी ले रखा था, जिसे राजकुमार बार–बार वापस मॉग रहा था। इस बिन्दु की बारीकि से जांच की गई तो पता चला की घटना के पूर्व धर्मेन्द्र एवं उसके पार्टनर मोह. गुलजार के यहॉ जगदलपुर का शातिर बदमाश मधु नायर कई बार आया–गया है तथा उसके साथ दो अज्ञात व्यक्ति भी देखे गये है, जो राजकुमार साहू के फुर्सत बार एवं रेस्टोरेंट के आस–पास कई बार देखे गये है, साथ ही यह भी पता चला की दोनो लडके जिनके नाम (1) मोह. सलीम उर्फ भोलू आ. असलम खान, 22 साल, सा. भट्ठा मोहल्ला हरमू थाना अरगोड़ा रॉची एवं (2) मोह. हुसैन आ. मोह. नजीर, 24 साल, सा. भट्ठा मोहल्ला हरमू थाना अरगोड़ा रॉची (झारखण्ड) हैं घटना दिनांक से गायब है। पतासाजी पर उनका रॉची (झारखण्ड) का रहना पता चला। जानकारी मिलने पर तत्काल काईम ब्रांच की एक टीम रॉची (झारखण्ड) भेजी गई, जहॉ प्रकरण के शूटर (1) मोह. सलीम उर्फ भोलू (2) मोह. हुसैन को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ पर दोनो आरोपियों ने घटना का खुलासा करते हुये बताया कि वे दोनो जगदलपुर में विश्वकर्मा मोटर गैरेज में काम करते थे, जहॉ उनका परिचय मधु नायर से हुआ, मधु नायर ने उन्हें दुर्ग के धर्मेन्द्र शाह से मिलवाया तथा बताया कि धर्मेन्द्र को राजकुमार साहू नामक

व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, उसे निपटाना है तथा मारने का सौदा (सुपारी) 06 लाख में तय हुआ। घटना के लिये 02 पिस्टल की व्यवस्था भी मधु नायर ने ही करवाई थी।

घटना को अंजाम देने के लिये धर्मेन्द्र शाह ने अपने दोनो शूटर को सहयोगी मोह. गुलजार के साथ राजकुमार के फुर्सत बार भेज कर राजकुमार की पहचान करवाई एवं स्वयं राजकुमार का पदमनाभपुर स्थित घर दिखाया। जहॉ दोनों आरोपी धर्मेन्द्र द्वारा दिये गये हीरो होण्डा स्प्लेण्डर मो.सा. जो बिना नंबर की थी से दो–तीन दिन लगातार राजकुमार का पीछा किये, लेकिन मारने में सफल नहीं सके। घटना दिनांक को दोनो आरोपी प्रातः 7.00 बजे मो.सा. से राजकुमार के घर के पास उसका इंतजार कर रहे थे राजकुमार स्कूटी से पोलसाय पारा के लिये निकला तो आरोपीगण उसका पीछा करते हुये नाई दुकान तक आये, वहां उसका इंतजार किये जैसे ही राजकुमार बाल डाई करवाकर सैलून से बाहर निकला आरोपी भोलू उर्फ मोह.सलीम के इशारा करने पर उसका साथी मोह. हुसैन उम्र 24 साल अपने पास रखे पिस्टल से ताबड–तोड़ फायर कर उसकी हत्या कर दिया, हत्या के पश्चात् दोनो आरोपी मो.सा. से धर्मेन्द्र के घर गये जहॉ गुलजार भी उपस्थित था। घटना में प्रयुक्त पिस्टल धर्मेन्द्र एवं गुलजार को दे दिये, पश्चात धर्मेन्द्र शाह घटना में प्रयुक्त मो.सा. से ही दोनो को बस में बैठा कर राजनांदगांव रवाना कर दिया, वहॉ से दोनो आरोपीगण ट्रेन से रायपुर होते हुये रॉची (झारखण्ड) चले गये। आरोपीगण के रॉची के बैंक एकाउंट में सुपारी की रकम धर्मेन्द्र शाह द्वारा किस्तों में जमा की गई है। दोनो आरोपिगण के साथ ही घटना के मास्टरमांइड धर्मेन्द्र शाह एवं उसके सहयोगी मोह. गुलजार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिनसे घटना में प्रयुक्त मो.सा. की बरामदगी के लिये उन्हें रिमाण्ड पर लिया जा रहा है, प्रकरण में हथियार सप्लायर मधु नायर की गिरफ्तारी के लिये भी पार्टी भेजी गई है।

प्रकरण के आरोपीगण की गिरफ्तारी में क्राईम ब्रांच के निरीक्षक सत्यप्रकाश, सउनि प्रमोद रूसिया, चिंतामणि वैष्णव, प्रआर. नरेन्द्र सिंह, अशोक साहू, सुरेश बनाफर, राजेश पाण्डेय, आरक्षक– परमजीत सिंह, दुर्गेश कुमार, अभिषेक, हरीश, शिव तिवारी, जगजीत सिंह, संतोष साहू, कि ाोर सोनी का सराहनीय योगदान रहा।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&

@@ * il&&ukV * @@

fnukd&& 3@06@2011

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

vrjkT;h; okgu pkj fxjkg idMk;k

xjt 0;olk; dh vkM+ e [kik;k tkrk Fkk okgu

mMhlk dk xjt 0;klk;h fxj¶rkj

ljxuk lfgr ¼04½vfHkj{kk e

iyxko o ekgu uxj d ekeyk ly>

Økbe czkp dh dk;Zokgh

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

विगत अर्से में चार पहिया वाहन चोरी की घटनाओं के मद्दे नजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) ने क्राइम ब्रांच को न.पु.अ. दुर्ग श्री रविन्द्र कुमार उपाध्याय के मार्गद र्शन में सुरागरसी के निर्देश दिये थे। कल क्राईम ब्रांच को सूचना मिली पुलगांव थाना के निगरानी बदमाश फरीद उर्फ कन्जी आ0 अजीत खान का भाई आसिफ उर्फ विक्की आ0 अजीज मुसलमान उम्र 26 साल कोलिहापुरी अपने साथियों के साथ चोरी के वाहन सहित गेंदीडबरी आई.एम. चौक में है सूचना पर मोहन नगर थाना व क्राईम ब्रांच की टीम गेंदीडबरी जाकर आसिफ व विक्की को शंकर नगर दुर्ग से चोरी गई सूमो सीजी 10 बी 1829 सहित धर दबोचा पूछताछ पर आसिफ ने अपने साथी किशोर अग्रवाल उर्फ फोड़ा आ0 स्व. राजकुमार अग्रवाल उम्र 23 साल खास निवास कोलिहापुरी हाल अटल आवास उरला तथा विकास उर्फ छोटा विक्की आ0 कैला । गाड़ा उम्र 22 साल साकिन तितुरडीह दुर्ग के साथ दुर्ग , रायपुर , धमतरी , राजनांदगांव , कोरबा आदि स्थानों से वाहन चोरी करना तथा रायपुर के गैरेज संचालक व खरियार रोड़ उड़ीसा के गुलाम अली खान उर्फ हीरा भाई आ0 गुलाम दस्तगीर खान उम्र 32 साल को चोरी की वाहनें सप्लाई करना बताया। पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे सेः–

शंकर नगर दुर्ग से चोरी हुई 1.टाटा सूमों सीजी 10 सी 1829 2. हिर्री बिलासपुर की मैक्सी ट्रक सीजी 10 सी 3109 3. धरसींवा की टाटा डीआई सीजी 04 जेए 4210 4. पलारी की सूमों सीजी 04 एचए 0596 5.मरवारा की कंमाडर सीजी 04 टी 3352 6. सोमनी से चोरी गई मारूति वेन सीजी 13 0126 जप्त की गई है। गुलाम अली सूमो सीजी 04 एचए 0596 में कल अन्य वाहनों को ले जाने दुर्ग आया था। रायपुर स्थित गैराज से कमांडर , मारूति वेन , टाटा डी.आई. जप्त की गई है। अब तक कुल 4 आरोपियों से 6 चारपहिया वाहन , आरोपियों से चोरीकी तीन मोटर सायकल सुजकी , हीरोहोण्डा स्पेलेण्डर सीजी 04 जेड आर 6552 , डीलक्स सीजी 04 सी मारूति वैन का चारों चक्का व सीट भी जप्ती है। आरोपयिों ने सिग्मा से नई बोलेरो सीजी 17 डी 0346 चोरी किया था जिसे शहडोल में एक्सीडेन्ट होने पर छोड़ दिया था। इनसे और भी वाहन रायपुर व उड़ीसा से बरामद करना है जिसके लिए पुलिस रिमाण्ड लेने की कार्यवाही की जा रही है इस पूरी कार्यवाही में क्राईम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी तथा सउनि प्रमोद रूसिया , चिन्तामणी वैष्णव , प्र.आर. नरेन्द्र सिंह राजपुत आर. हरिशचंद , शिवतिवारी , जगजीत सिंह , किशोर सोनी , संतोष साहू , चालक अरविंद शर्मा , शवाबृद्दीन एवं थाना मोहन नगर प्रभारी निरीक्षक पी.सी. श्रीवास्तव , प्र.आर. नेमन साहू की सक्रिय भूमिका रही है।

गिर0 आरोपियों के नाम

1.आसिफ उर्फ विक्की आ0 अजीज मुसलमान उम्र 26 साल साकिन तितुरडीह दुर्ग

2. किशोर अग्रवाल उर्फ फोड़ा आ0 राजकुमार अग्रवाल उम्र 23 साल साकिन अटल आवास उरला

3. विकास उर्फ छोटा विक्की आ0 कैलाश गाडा उम्र 22 साल साकिन तितुरडीह दुर्ग

4. गुलाम अली खान उर्फ हीरा भाई आ0 गुलाम दस्तगीर उम्र 32 साल साकिन खरियार रोड पटेल नगर उड़ीसा

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * i<u>zsl&&ukV</u> * @@

fnukd%& 20@06@2011

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

Økbe czkap dh dk;Zokgh
Pkkj ifg;k okgu pksj fxj¶rkj
,d cksysjks] ,d lweks dherh 6 yk[k : i;s cjken

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

दुर्ग–भिलाई क्षेत्र में चार पहिया वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियों की पतासाजी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) द्वारा क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(शहर) श्री एम0एल0कोटवानी के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच प्रभारी श्री सत्य प्रकाश तिवारी एवं टीम अपराधियों की पतासाजी में लगी थी। मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि रायपुर निवासी अनवर खान चोरी की चार पहिया वाहन बोलेरो में ग्रीन चौक दुर्ग रेल्वे स्टेशन के पास घुम रहा है सूचना पर क्राईम ब्रांच द्वारा आरोपी अनवर खान आ0 स्व. आदम जामाल उम्र 41 साल साकिन विजय नगर भानुपरी रायपुर को पकड़कर पूछताछ करने पर उक्त बोलेरो वाहन MH 31 AH 1004 को दो साल पूर्व भण्डारा (महाराष्ट्र) से चोरी करना बताया। चोरी की अन्य वाहन के संबंध में पूछताछ करने पर एक सूमो सिल्वर रंग बिना नंबर का जिसे दो–ढ़ाई साल पूर्व दुर्ग तितुरड़ीह कैलाश नगर निवासी आसिफ उर्फ विक्की आ0 अजीज खान एवं गुलाम अली उर्फ हीरा आ0 गुलाम दस्तगीर खान साकिन खरियार रोड़ उड़िसा द्वारा चोरी कर लाकर दिया था जिसे टाटीबंध रायपुर में रखना बताया कहां से चोरी किया नही मालूम होना बताया दोनों आरोपी आसिफ खान एवं गुलाम अली एक सप्ताह पूर्व वाहन चोरी के प्रकरण में जिला जेल दुर्ग में निरूद्व है कि आरोपी अनवर से उपरोक्त दोनों वाहन बोलेरो , सूमो कीमती 6 लाख रूपये का बरामद कर आरोपी के विरूद्व थाना मोहन नगर में अपराध क्रं. 7/2011 , 8/2011 धारा 41(1+4)जा0फौ0 379 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अन्य चोरी गई वाहन में आरोपी अनवर का नाम होने से पूछताछ जारी है।

इस सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि– चिंतामणि वैशणव , प्र.आर. नरेन्द्र सिंह , सुरेन्द्र सिंह , नेमन सिंह ंआरक्षक– हरीश चंद , शिव तिवारी , जगजीत सिंह , संतोष साहू , डिकेश सिन्हा , चालक प्र.आर. – अरविंद भार्मा की सराहनीय भूमिका रही है।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * i`sl&&ukV * @@

fnukad& 06@06@2011

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

dkbZe czkap dh dk;Zokgh
yqV dh 04 ekeyks dk inkZQk'k] 03 yqVsjs fxjQ~rkj]
lksus dh rhu pSu otuh 70 xzke dherh 150000@& :0 dk e'k:dk cjken

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

शहर में लगातार हो रहे लूट की वारदात के प्रकरणों की गंभीरता को दृश्टिगत रखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन पर नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर श्री राकेश भटट् के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी एवं टीम द्वारा को सुरागरसी कर माल मुल्जिम पतासाजी हेतु लगाया गया था। जरिये मुखबीर सूचना मिली की मोह. रिजवान खान सोने की चेन बेचने की बात कर रहा था कि सूचना पर मोह. रिजवान खान आ. अहमद मौलाना 30 साल सा. सेक्टर 10 ए मार्केट को पकड़े तथा बारीकी से पूछताछ करने पर अपने अन्य दो साथियों 1– सतीश नायडू आ. पी. सुब्रमण्यम 25 साल सा. सेक्टर 10 2– के. भामुएल आ. के. यीशु 24 साल सा. सेक्टर 10 भिलाई नगर के साथ सेक्टर 6 सतनाम भवन के पास, इस्पात क्लब सेक्टर 2, सेक्टर 5 गायत्री डिपाटमेंटल के सामने तथा सेक्टर 10 सडक 12 के सामने सतीश नायडू की काले रंग की प्लसर में 04 चेन लूट की घटनाओं को करना बताया। घटना में मिले सोने के चेन को अपने अपने पास रखना तथा एक चेन को क्षितिज वर्मा चंदा ज्वेलर्स सेक्टर 6 ए मार्केट के पास बेचना बताया इसके अन्य साथियों को क्राईम ब्रांच एवं थाना भिलाई नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा काफी प्रयास कर पकड़ा गया, पूछताछ पर अपराध करना स्वीकार किये तथा अपने पास रखे तीन सोने के चेन वजनी करीबन 70 ग्राम कीमती 1,50,000/– का तथा काले रंग की प्लसर मो.सा. को बरामद कराया। एक सोने की चेन को क्षतिज वर्मा चंदा ज्वेलर्स सेक्टर 6 ए मार्केट के पास बेचना बताये है, जो फरार है तलाश कर बरामद किया जाना है। उक्त संबंध में थाना भिलाई नगर में अपक्रं. 483/10 धारा 392 भादवि की प्रार्थिया श्रीमती शीलामोहन, अपक्रं. 108/11 धारा 392 भादवि की प्रार्थिया मीना चौरसिया, अपक्रं. 134/11 धारा 392 भादवि की प्रार्थिया श्रीमती रानी मिश्रा एवं अपक्रं. 157/11 धारा 392 भादवि की प्रार्थिया श्रीमती भाग्यलक्ष्मी राव निवासी भिलाई नगर द्वारा अपराध पंजीबद्व कराया गया है। आरोपियों को थाना भिलाई नगर को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंपा गया।

इस मामलें के खुलासा करने वाले दल में सउनि दयाशंकर पाण्डेय, प्रआर– राजेश पाण्डेय, गुप्ते वर यादव, करण सोनकर आरक्षक– जागेश्वर वर्मा, जी. रवि, रामनारायण यदु, दीपक गोस्वामी, योगेश कुमार (चालक) तथा भिलाई नगर पुलिस की भूमिका सराहनीय रही।

@@ * i|l&&ukV * @@

fnukd& 9@5@2011

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

ukxiqj ds udctu Øksbe czkap ds gRFks p<s

Fkkuk eksgu uxj ds 3 ekeyks dk [kqykl k

lksus ,oa pkanh ds tsoj tqeyk dherh 150000@&:- dk e'k:dk cjkenA

,d iq:"k nks efgyk vkjksih fxj¶rkj

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

भाहरी क्षेत्र में नकबजनी की बढ़ती घटनाओं के रोकथाम एवं अपराधियों की पतासाजी हेतु प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री भोख आरिफ हुसैन (भा.पु.से.) द्वारा क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री एम0एल0कोटवानी , के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच प्रभारी श्री सत्य प्रकाश तिवारी एवं टीम अपराधियों की पतासाजी में लगी थी। मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि दुर्ग रेल्वे स्टे ान के पास कुछ संदिग्ध महिलाए एवं पुरूष सोने चांदी के जेवरात बेचने की फिराक में धुम रहे है कि सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक पुरूष एवं दो महिला को सोने चांदी के जेवरात सहित पकड़े पुछताछ करने अपना नाम 1. पुरूषोत्तम बंजारा आ0 भांकर राव उम्र 26 साल साकिन रानी दुर्गावती चौक थाना पॉच पावली नागपुर (महाराष्ट्र) 2. रानी पति संजय पोयाम उम्र 30 साल साकिन राजनगर झोपड़ी थाना गिट्टी खदान नागपुर (महाराष्ट्र) 3.मालती पति नितेश ढ़ोरे उम्र 35 साल साकिन राजनगर झोपड़ी थाना गिट्टी खदान नागपुर (महाराष्ट्र) के रहने वाले बताया। उक्त जेवरात के संबंध में पुछताछ करने पर कोई कागजात रसीद नहीं होना बताए तथा सोने चांदी के जेवर को दुर्ग के भांकर नगर क्षेत्र में माह फरवरी एवं अप्रैल सन् 2011 में सुने मकान से चोरी करना एवं माह मार्च में हनुमान नगर के हनुमान मंदिर से चांदी के छत्र मुकुट चोरी करना बताये। आरोपियों के कब्जे से बरामद मशरूका के संबंध में थाना मोहन नगर में प्रार्थी श्रीमति चंद्रकांता खापर्डे साकिन भांकर नगर दुर्ग के रिपोर्ट दिनॉंक 23/02/2011 को अपराध क्रं. 119/2011 धारा 457 , 380 भादवि प्रार्थी विजेन्द्र पाण्डेय साकिन सिंधिया नगर दुर्ग के रिपोर्ट पर दिनॉंक 7/03/2011 को अपराध क्रं. 145/2011 धारा 457 , 380 भादवि , प्रार्थी आशुतोष लांझेवार साकिन भांकर नगर दुर्ग के रिपोर्ट पर दिनॉंक 3/04/2011 को अपराध क्रं. 191/2011 धारा 457 , 380 भादवि का अपराध पंजीबद्व है। आरोपियों के विरूद्व थाना मोहन नगर में कार्यवाही की जा रही है। आरोपी पुरूषोत्तम से पुछताछ पर यह भी बताया कि वह नागपुर के पॉच पावली थाना क्षेत्र में भी प्रताप नगर में कई सुने मकान में चोरी किया है। इससे संबंधित मशरूका लगभग 25 ग्राम सोने के जेवरात को भी पृथक से अपराध क्रं. 4/2011 धारा 41(1+4)जा0फौ0 457 , 380 भादवि के तहत जप्त किया गया है। आरोपी नागपुर का भाातिर नकबजन है इस संबंध में नागपुर पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है।

उक्त कार्यवाही में क्राईम ब्रांच के सउनि चिंतामणी वैष्णव , प्र0आर0 नरेन्द्र सिंह , सुरेश बनाफर ,आर0 जगजीत सिंह , शिव तिवारी , किशोर सोनी , चालक प्र0आर0 अंरविद भार्मा एवं थाना मोहन नगर के उनि प्रभाराव , प्र0आर0 राधवेन्द्र , नेमन सिंग , हेम सिंग की भूमिका सराहनीय रही।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * i l&&ukV * @@

fnukd & 4@5@2011

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

Økbe ckp dh dk;lokgh

ikVu Fkkuk d fl dkykHkkBk e g , v/k dRy dh xRFkh l y>h

rhu vkjkih fxj¶rkj

i l d yu nu dk y dj gvk Fkk fookn

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

दिनाँक 14/04/2011 को थाना पाटन के सिकोलाभाठा में मिले अज्ञात व्यक्ति के भाव की गुत्थी को सुलझाने में क्राईम ब्रांच को सफलता मिली है अज्ञात व्यक्ति की शव की पहचान जमीन खरीद बिक्री का धंधा करने वाले सेजबहार रायपुर निवासी दयानंद साहू के रूप में हुई जिसें पैसे के लेन देन मे हुए विवाद के बाद उसी के दोस्त यशवंत साहू ने अपने साले मनीष साहू एवं हिरेन्द्र साहू के साथ मिलकर हत्या कर भाव को जलाकर फेंक दिया था।

दिनाँक 14/04/2011 को ग्राम सिकोलाभाठा के प्रार्थी ललित साहू ने पाटन थाना मे रिपोर्ट दर्ज कराया कि जब वह अपने चना के खेत में बंदर भगाने गया था तो उसे खेत में चेहरा एवं हाथ जला हुआ किसी अज्ञात पुरूष का भाव पड़ा दिखा है। रिपोर्ट पर थाना पाटन में मर्ग क्रं. 11/2011 कायम कर पंचनामा में पाया कि मृतक को किसी अन्य जगह पर मारकर उसके भाव को वहाँ छुपाने की नियत से फेका गया है एवं भाव की पहचान न हो इसलिए उसके चेहरे एवं कपड़े को जला दिया गया है। भाव के पोस्टमार्टम पश्चात् अपराध क्रं. 116/2011 धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया। मृतक के पतासाजी के दौरान उसकी पहचान जमीन का धंधा करने वाले दयानंद साहू साकिन सेजबहार थाना टीकरापारा रायपुर के रूप में हुई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने क्राईम ब्रांच को आरोपी की पतासाजी के लिए लगाया। अति0 पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री मनीष भार्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी पाटन निवेदिता पाल के मार्गद र्न में क्राईम ब्रांच प्रभारी श्री सत्य प्रकाश तिवारी एवं टीम को आरोपी पतासाजी के दौरान जानकारी मिली कि मृतक दयानंद साहू को आखिरी बार उसके दोस्त यशवंत कुमार साहू आ0 मदन लाल साहू उम्र 31 साल साकिन नंदई चौक टिकरापारा रायपुर के साथ देखा गया है। सूचना पर यशवंत साहू को पकड़कर उससे पुछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबुल करते हुए घटना को अपने साले मनीष कुमार साहू आ0 श्री रामसाहू उम्र 24 साकिन पानी टंकी फिल्टर कालोनी एच/1 उरला (रायपुर) एवं उसके दोस्त हिरेन्द्र कुमार साहू आ0 ललित कुमार साहू उम्र 25 साल साकिन संजय नगर टिकरापारा रायपुर के सहयोग से अंजाम देकर मृतक दयानंद साहू की हत्या करना कबुल किया। साथ यह भी बताया कि मृतक दयानंद साहू ने उसे रखने एक लाख रूपये जनवरी 2011 में दिया था जो खर्च हो गये इस पर दयानंद साहू बार बार पैसे की मांग करता था एवं नहीं देने पर भाराब पीकर गाली गलौच कर परेशान करता रहता था। दिनाँक 12/04/2011 को मुख्य आरोपी य ावंत साहू योजनाबद्व तरीके से अपने साले मनीष साहू एवं हिरेन्द्र साहू को बुलाया तथा हिरेन्द्र साहू की टाटा इंड़िका कार सीजी 04 बी 8505 में बैठकर तीनों मृतक दयानंद साहू के घर गये तथा ड्राईवर की भाादी में पांडुका राजिम जाने बोलकर उसे भी साथ ले गये रास्ते में सभी ने भाराब पिया। मृतक शराब के नशे में पुनः यशवंत से पैसे की मांग करने लगा एवं नहीं देने पर उसे तथा उसके साले को गंदी-गंदी गालिया देने लगा। राजिम से भााम 7.00 बजे सेजबहार वापसी के समय तीनों आरोपीगण ने दयानंद की हत्या करने की योजना बनाई योजना के तहत उस समय गाड़ी यशवंत साहू चला रहा था मृतक दयानंद सामने सीट पर तथा मनीश साहू एवं हिरेन्द्र साहू दोनों पीछे की शीट पर बैठे थे गाड़ी को सेजबहार न ले जाकर यंशवत ग्राम खोरपा भरेंगाभाठा की ओर ले गया। गाड़ी मे ही गमछे से यशवंत के इशारे पर मनीष साहू एवं हिरेन्द्र साहू ने दयानंद का गला घोट दिया एवं चाकू एवं इंडिका की जैक राड़ से मृतक के गले एवं भारीर में संघातक प्रहारकर उसकी हत्या कर दी तथा भाव की पहचान न हो उसे छुपाने के नियत से थाना पाटन के सिकोलाभाठा में फेंक कर उसके कपड़े एवं सूखे पत्ते से उसका चेहरे एवं शरीर का उपरी भाग जला दिये तथा वापस रायपुर चले गये। आरोपीगण को पुलिस अभिरक्षा में लेकर यशवंत साहू के निशानदेही पर धटना में प्रयुक्त गमछा तथा मनीष साहू से घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त किया गया साथ ही आरोपी हिरेन्द्र साहू से घटना में प्रयुक्त इंडिका कार सीजी 04 बी 8505 मय जैक राड़ के जप्त किया गया है। आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।

सम्पूर्ण कार्यवाही में क्राईम ब्रांच के सउनि रामअवतार यदू, प्र0आर0 राजकुमार, पवन सिंह, आर0 धर्मराज, नरेश कुमार, परसराम, चन्द्रशेखर सिंह, चालक बंसत एवं थाना पाटन के उनि आर.के साहू का सराहनीय योगदान रहा।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

* i l&foKfIr *

fnukd 01@05@2011

Økbe cikp ,o mrbl ifyl dh dk;okgh
xke irkjk d vi/kdRy dh xiRFkh lqy>h] 02 vkjkih fxj¶rkj
iMkslh fudys gR;kjs

थाना उतई में दिनांक 23.04.2011 को मृतिका फुले वरी यादव पति विरेन्द्र यादव 35 साल सा. पतोरा, अपने घर में अकेली थी उसका पति विरेन्द्र यादव मजदूरी काम पर सेक्टर 4 भिलाई गया था कि करीब 1.30 बजे दोपहर पडोसी जागेश्वर यादव देखा की मृतिका के घर से धुआं निकल रहा है इसकी सूचना ग्रामवासी एवं सरपंच को दिया ग्राम कोटवार भूखनलाल ने रिपोर्ट किया कि फुले वरी यादव को कोई अज्ञात आरोपी द्वारा घर में घुस कर टंगिया से सर में चोट पहुंचा कर गला दबाकर हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिये आग लगा दिया है। इस सूचना पर थाना उतई में अप. क्रं. 128/2011 धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) ने अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु मामला क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री मनीश शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी पाटन के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच एवं उतई पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर मृतिका के पड़ोस में रहने वाले 1– गरीबा गाडा आ. केजू राम गाडा उम्र 40 साल सा. पतोरा गातापार 2– राकेश रौशन उर्फ गब्बर आ. स्व. धर्मदास कलीहारी उम्र 27 साल सा. पतोरा गातापार को पुलिस हिरासत में लिया जाकर पूछताछ किया गया तो आरोपी द्वारा पहले ही घटना में संलिप्तता से इंकार करते रहे लेकिन कड़ी पूछताछ में टूट गये एवं घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुये बताया कि दोनों का मृतिका के घर आना जाना लगा रहता था पैसे की जरूरत पडने पर घटना दिनांक को दोनों ने मृतिका के पति के बाहर जाने पर चोरी की योजना तैयार किया जैसे ही घर में घुसे, मृतिका फुले वरी यादव ने उन्हें देख लिया एवं उनका विरोध करने लगी अपना नाम उजागर होने के डर से दोनों आरोपीगण मृतिका फुले वरी यादव के घर में ही रखे टंगिया से सर पर मारकर एवं गला दबाकर उसकी हत्या कर दिये एवं मृतिका के पैर, में पहने पायल एवं कान में, पहने सोने के टॉप्स को निकाल लिया एवं साक्ष्य छुपाने घर में आग लगा कर पिछले दरवाजे से भाग निकले। आरोपीगण के मेमोरेण्डम के आधार पर उपरोक्त मशरूका जप्त किया जा कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोपीगण के गिरफ्तारी एवं खुलासे में थाना प्रभारी उतई सी तिर्की क्राईम ब्रांच के सउनि– रामअवतार यदु, प्रआर. पवन सिंह, राजकुमार, आरक्षक नरेश कुमार , धर्मराज , परसराम साहू , चन्द्रशेखर, एवं उतई थाना के सउनि– जे. एल. सांडिल्य, प्रआर. योद्वा प्रसाद, आर. उपेन्द्र यादव, नीरज कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

i l ukV

fnukd 22@04@2011

vijk/k Ø- 326@10] 127@11 /kkjk& 457] 380 Hkknfo Fkkuk unuh

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

'kkrhj udctu Økbe ckp d gRFk p<
Fkkuk unuh uxj d nk udctuh d ekeyk dk [kyklk]
pknh ,o lku d toj teyk dherh 2]70]300@&:- dk e'k:dk cjkenA
06 vkjkih fxjQrkj

& && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार (भापुसे) के निर्देशन में एवं अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री मनीश शर्मा व डीएसपी काईम श्री आर.के. चौबे के मार्गदशर्न में चोरी नकबजनी की सुरागरसी लगाई गयी काईम ब्रांच प्रभारी श्री सत्यप्रकाश तिवारी के टीम ने 06 शातीर नकबजन 1– अलीम अहमद खान आ. कलीम अहमद खान 22 साल 2– राकेश निर्मलकर आ. कल्याण निर्मलकर 19 साल 3– सुनील चतुर्वेदी आ. राजकुमार 22 साल 4– गोपाल सोनानी आ. वीरो सोनानी 28 साल साकिनान सा. वार्ड नं. 7 चटाई भीट अहीवारा 5– एजाज खान आ. युनूस खान 20 साल सा. तितुरडीह इब्राहिम बाडा दुर्ग 6 – रितेश राव आ. खण्डेराव 25 साल सा. तितुरडीह मिलन चौक थाना मोहन नगर को मुखबीर की सूचना पर पकडकर पूछताछ करने पर दिनांक 25,26.10.10 की दरम्यानी रात नंदनी नगर टाउन ीप सडक नं 29–1–बी से घर का ताला तोडकर व अंदर प्रवेश कर घर के पेटी में रखे सोने चांदी के जेवर चोरी करना तथा दिनांक 01.04.11 को नंदनी नगर टाउनशीप मस्जीद के पास से घर के अलमारी से सोने के जेवर चोरी करना बताये। घटना स्थल देखने पर प्रार्थी विजय मण्डले ा आ. स्व. सुखचैन मण्डलेश 55 साल सा. नंदनी नगर टाउन ीप के द्वारा दिनांक 26.10.10 की रिपोर्ट पर थाना नंदनी नगर में अपकं. 326/10 धारा 457, 380 भादवि एवं प्रार्थी मोह. फमरूद्दीन आ. मोह. अली हसन 50 साल सा. नंदनी नगर मस्जीद के पास की रिपोर्ट पर थाना नंदनी नगर में दिनांक 01.04.11 को अपकं. 127/11 धाा 457, 380 भादवि की रिपोर्ट से संबंधित होना पाया गया थाना नंदनी नगर एवं काईम ब्रांच की संयुक्त टीम ने चोरी गये मशरूका उपरोक्त आरोपियों के निशादेही पर सोने चांदी के जेवर कीमती करीबन 2,70,300 रू. का मशरूका बरामद किया गया तथा उपरोक्त अरोपियों को असल अपराध में अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना नंदनी नगर को सौंपा गया।

उक्त कार्यवाही में क्राईम ब्रांच के सउनि रामअवतार यदु , प्र0 आर0 हेमन्त त्रिपाठी, राजकुमार, रमा ांकर सिह, आर0 धर्मराज, नरेश कुमार, दीपक गोस्वामी, परस साहू , चन्द्रशेखर सिंह, बंसत लाल , थाना नंदनी के सउनि प्रभाकर सिहं प्र.आर. सुरेश सिहं आर. पुरन, ईश्वर, केदार अवस्थी की भूमिका सराहनीय रही।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * il&&ukV * @@

fnukd%& 20@02@2011

Økbe ckp u fd;k CykbM eMj dk [kykl k
efgyk lfgr nk vkjkih fxj¶rkj
e`rd o vkjkihx.k exj?kVk Fkkuk ukn?kkV d gh fudy

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

दिनॉक 18/02/2011 को सबेरे 5:00 बजे संतू निषाद ग्राम मगरघटा थाना नांदघाट के कोठार के पैरावट में आग लगने पर गांव वाले पैरावट में लगी आग बुझाने आए तो पता चला कि पैरावट में मृतक परस निषाद आ0 हिंसा राम निषाद उम्र 40 साल ग्राम मगरघटा का अध जला हुआ भाव दिखा जिससे गांव वाले सक्ते में आ गए तथा पुलिस को तत्काल कोठार मालिक संतू निषाद ने भाव मिलने की सूचना दी सूचना पर थाना नांदघाट अपराध क्रं. 62/2011 धारा 302 , 201 भादवि पंजीबद्व कर थाना प्रभारी नांदघाट श्री अनूप वाजपेयी ने सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी वरिष्ट पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार (भा0पु0से0) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री मनीष भार्मा ने थाना प्रभारी को आव यक निर्दे ा दिये एवं क्राईम ब्रांच प्रभारी श्री सत्य प्रका ा तिवारी को भी टीम मौके पर भेजने हेतु निर्दे ित किया गया। घटना स्थल पर थाना प्रभारी नांदघाट , क्राईम ब्रांच के प्र.आर. चन्द्र ोखर सोनी , राजकुमार दिवाकर , आर0 प्रदीप ठाकुर मौके पर ग्राम मगरघटा पहुंच कर तफतिश प्रारंभ किया प्रारभिंक पूछताछ पर पता चला कि मृतक परस निषाद ग्राम खपरी में ि ाक्षा कर्मी में वर्ग–2 के पद पर कार्यरत था , घटना स्थल मृतक के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर था। मृतक जींस का पेंट व भार्ट पहने हुए नगे पांव था , कोठार में तेंदू की मजबूत लाठी का खून से सने हुआ मिला था। क्राईम ब्रांच की टीम ने घटना स्थल पर मिले डंडे को मुख्य सुराग मानकर सुरागरसी की दि ाा में अग्रिम जांच प्रारंभ की पता चला कि डंडा मनोहर यादव ग्राम मगरघटा का है एवं मनोहर का अवैध संबंध उसके पड़ोस के एक विधवा महिला से है संदिग्ध मनोहर ग्राम मगरघटा से अपनी रिस्तेदारी में अर्जुनी चले गया था। पुलिस की पूछताछ पर मनोहर यादव ने खुलासा किया कि दिनॉक 18/02/2011 को प्रातः 4:00 बजे संतू के कोठार में इसने अपनी विधवा महिला प्रेमिका को बुलवाया था। तभी मृतक पहुंचा और अपत्ति जनक हालत में इन्हे देखा जिससे मनोहर उत्तेजित हो गया और इनका अवैध संबंध उजागर न हो इसलिए मृतक की हत्या तेंदू की लाठी से संधातिक चोंट पहुंचाकर कर दिया जिसमें इसकी प्रेमिका ने प्रर्याप्त सहयोग किया हत्या के बाद दोनों मिलकर मृतक का भाव पैरावट के पैरा में छुपाकर आग लगा दिये। मामले में महिला सहित मनोहर यादव आ0 राम सनेही यादव उम्र 36 साल मगरघटा को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के उपरांत चंद घन्टे में मामला सुलझा लेने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने पुरस्कृत करने की धोषणा की है।

इसी प्रकार अन्य मामले में दिनॉक 7, 8/02/2011 को दरम्यानी रात प्रार्थी विरेन्द्र कुमार आ0 राधेभयाम देवांगन उम्र 55 साल साकिन बाजार पारा अर्जुन्दा के खुले मकान में रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा प्रवेश कर घर में रखे नगदी रकम तथा चांदी की पैर पट्टी व मोबाईल को चोरी कर ले गया था । प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अर्जुन्दा में अपराध क्रं. 24/2011 धारा 380 भादवि कायम किया गया था। दिनॉक 19/02/2011 को मुखबीर से सूचना क्राईम ब्रांच को मिली कि सन्देही भीम सेन उर्फ भीमा आ0 तमस्कार सतनामी उम्र 17 साल साकिन अर्जुन्दा सतनामी पारा ने चोरी किया है , इस पर से सन्देही भीम सेन उर्फ भीमा से बरीकी से पुछताछ किया तो आरोपी भीम सेन ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया और चोरी गए नगदी रकम 7000/– रू0 व चांदी की पैर पट्टी लगभग 5 तोला व मोबाईल कुल कीमती 10,000/– रू0 का म ारूका जप्त कर थाना अर्जुन्दा का मशरूका होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु सौपा गया। इस कार्यवाही में क्राईम ब्रांच के सउनि चिन्तामणी वैष्णव, प्र0आर0 नरेन्द्र सिंह , शिव दुबे , आर0 हरीशचंद , शिव तिवारी , जगजीत सिंह , अभिषेक कुमार , चालक प्र.आर. अरविंद भार्मा एवं थाना अर्जुन्दा के प्र.आर. रमेश सिन्हा की सराहनीय भूमिका रही।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * izsl&&ukV * @@

fnukad 17@02@2011

Øksbe czkap dh dk;Zokgh
ukxiqj dk nks ikj/kh udcteu fxjksg¶rkj
ikap izdj.k dk [kqyklk
1]25]000@& :0 dk eky cjken

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

दुर्ग शहर में लगातार हो रही नकबजनी , चोरी के वारदात को गंभीरता से लेते हुए अपराध नियत्रंण एवं माल मुल्जिम पतासाजी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) द्वारा क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) एम0एल0कोटवानी , डीएसपी (क्राईम) श्री आर.के. चौबे , नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री रविन्द्र उपाध्याय के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में सउनि चिन्तामणी वैष्णव की टीम द्वारा भाहरी क्षेत्र में नकबजनी , चोरी के माल मुल्जिम पतासाजी हेतु लगाई गई थी , जो दौरान पतासाजी के अपने सूत्रों से सतत् सम्पर्क करते हुए मुखबीर से सूचना मिली कि नागपुर से पारधी गिरोह के लोग ट्रेन से आये है , जो अपराध घटित कर ट्रेन से वापस चले जाते है। सूचना के आधार पर तत्काल स्टेशन एवं आसपास के क्षेत्र का घेराबंदी कर सन्देही बेताब उर्फ राज पवार (पारधी) आ0 तेन्जू उर्फ चन्द्रम पवार उम्र 19 साल एवं कापटर उर्फ योगेश आ0 तेन्जू उर्फ चन्द्रम पवार उम्र 21 साल निवासी ग्राम बाड़ी थाना बाड़ी जिला नागपुर (महाराष्ट्र) को स्टेशन रोड़ ग्रीन चौक दुर्ग के पास से घेराबंदी कर पकड़कर सघन पूछताछ करने पर थाना मोहन नगर दुर्ग क्षेत्र के पांच अपराध घटित करना स्वीकार करते हुए बताये कि (1½- आज से करीब 6–7 माह पूर्व सिकोला बस्ती से एक व्यक्ति के बैंग में रखे नगदी रकम को उठाकर चोरी करना स्वीकार किया। प्रार्थी प्रीतेश चोपड़ा निवासी स्टेशन रोड़ महासमुन्द के रिपोर्ट पर दिनॉक 19/07/2010 को थाना मोहन नगर में अपराध क्रं. 283/2010 धारा 379 भादवि पंजीबद्व है।

(2). करीब छः माह पूर्व कादम्बरी नगर दुर्ग के दुकान का रात्रि में भाटर उठाकर नगदी रकम चोरी करना स्वीकार किए , दिनॉक 17/08/2010 को प्रार्थी प्रवीण निवासी कादम्बरी नगर दुर्ग की रिपोर्ट पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रं. 330/2010 धारा 457 , 380 भादवि पंजीबद्व है।

(3). 15 दिन पूर्व विजय नगर दुर्ग के एक मकान के अन्दर आलमारी का ताला तोड़कर नगदी रकम एवं सोने चांदी के जेवरात चोरी किये थे। प्रार्थी पुरूषोत्तम आ0 अचाजी निवासी विजय नगर दुर्ग की रिपोर्ट पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रं. 72/2011 धारा 457 , 380 भादवि पंजीबद्व है।

(4). 10 दिन पूर्व कर्मचारी नगर दुर्ग के सुने मकान का रात्रि में ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर व नगदी रकम चोरी करना बताये। दिनॉक 4/02/2011 को प्रार्थी संतोष गोयल निवासी कर्मचारी नगर दुर्ग की रिपोर्ट पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रं. 79/2011 धारा 457 , 380 भादवि पंजीबद्व है।

(5). 4 दिन पूर्व रात्रि में दीपक नगर दुर्ग के सुने मकान का ताला तोड़कर अन्दर रखे आलमारी खोलकर सोने चांदी के जेवर व नगदी रकम चोरी करना बताये। दिनॉक 13/02/2011 को प्रार्थी बद्रीनाथ साहू निवासी दीपक नगर गली नं0 2 दुर्ग की रिपोर्ट पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रं. 97/2011 धारा 457 , 380 भादवि पंजीबद्व है।

उपरोक्त आरोपियों से चोरी की सम्पत्ति lksus dk चेन 1 , अंगूठी 3 , बाली 1 जोड़ , झुमका 1 जोड चेन सहित , मंगल सूत्र 2 नग , फुल्ली 1 , लाकेट 2 , टाप्स 2 जोड़ एवं pkanh dk पायल 3 जोड , बिछिया 9 जोड़ , हाफ करधन 1 , चांबी गुच्छा 1 , सिक्का 25 नग तथा नगदी रकम 4000/– रू0 जुमला कीमती 1,25,000/– रू0 का माल बरामद किया गया है।

उक्त कार्यवाही में क्राईम ब्रांच के सउनि चिन्तामणी वैष्णव , प्र0आर0 नरेन्द्र सिंह , शिव दुबे , पवन सिंह आर0 हरीशचंद , शिव तिवारी , जगजीत सिंह , डीकेश सिन्हा , चालक प्र.आर. अरविंद शर्मा , बंसत वर्मा एवं थाना मोहन नगर के सउनि फगनू राम सिन्हा , शिव कुमार हरीहरणो प्र.आर. राघवेन्द सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * i»l&&ukV * @@

fnukd 10@02@2011

Økbe ckp dh dk;lokgh
nk ifg;k okgu pkj fxjkg dk inkQk'k 209000@&:0 eY; d pkjh dh 5 ekVj
lk;dy lfgr]1 ekckby lfgr rhu vkjkih fxj¶rkj

& & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & &
&

दुर्ग–भिलाई के भाहरी क्षेत्र मे लगातार हो रही वाहन चोरी की घटना पर अंकु ा लगाने एवं आरोपीगण की पतासाजी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग श्री अमित कुमार (भा0पु0से0) द्वारा क्राईम ब्रांच को निर्दे ात किया गया था। अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री एम.एल.कोटवानी, उप पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री आर. के. चौबे के मार्गद र्न में क्राईम ब्रांच प्रभारी श्री सत्यप्रका ा तिवारी एवं टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों मुखबीर की सूचना पर चोरी के 5 वाहन एवं एक मोबाईल के साथ पकड़ने में सफलता मिली है बरामद मोटर सायकल एवं मोबाईल की कीमत 209000/– रू0 है।

माल मुल्जिम पतासाजी के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम ने मुखबीर की सूचना पर 1.अरसद हुसैन उर्फ मोनू आ0 अफाक हुसैन उम्र 26 साल साकिन सुन्दर नगर कोहका भिलाई 2. आरीफ खान आ0 एनुल खान उम्र 28 साल साकिन फरीद नगर सुपेला भिलाई को पकड़ा जाकर उनसे पुछताछ की गई दोनों आरोपी पूर्व में लूट तथा वाहन चोरी के प्रकरण में भाामिल रहे है। पुछताछ पर आरोपीगण ने साथ मिलकर थाना सुपेला , छावनी एवं पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र से कुल 5 मोटर सायकल की चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी आरीफ खान थाना सुपेला क्षेत्र से एक मोबाईल चोरी करना भी स्वीकार किया है।

दिनॉक 21/02/2010 को दोनों आरोपीगण ने फरीद नगर मैदान से एक बजाज डिस्कवर मोटर सायकल सीजी 07 एलएच 4439 चोरी किया था जिसमें प्रार्थी उमेश शर्मा की रिपोर्ट पर थाना सुपेला के अपराध क्रं. 119/2010 धारा 379 भादवि पंजीबद्व है।

इसी प्रकार दिनॉक 17/05/2010 को आरोपी अरसद हुसैन एवं आरीफ खान फरीद नगर से आसीद खान की मोटर सायकल हीरो होण्डा स्पेलेण्डर सीजी 07 एलजे 7752 को चोरी किया था।

इसी प्रकार दिनॉक 3/11/2010 को पार्षद रमानंद मौर्या का नोकिया मोबाईल आरोपी आरीफ खान द्वारा चोरी किया गया था। दिनॉक 10/09/2010 को नेहरू नगर चौक सुपेला से प्रार्थी रामखिलावन यादव की हीरो होण्डा पैशन प्लस सीजी 04 डीई 0683 आरोपी मय द्वारा चोरी किया गया था।

इसी प्रकार दिनॉक 31/10/2010 का पावर हाउस से प्रार्थी पूजा लाल जैन की होण्डा साईन मोटर सायकल सीजी 07 एलएन 8609 को दोनों आरोपी मिलकर चोरी किये थे।

इसी प्रकार दिनॉक 30/05/2010 को वसुन्धरा नगर भिलाई से प्रार्थी लोकनाथ की हीरो होण्डा पैशन मोटर साकयल सीजी 07 एलपी 6689 को दोनों आरोपी गण मिलकर चोरी किये थे। उक्त सभी 5 मोटर सायकल एवं एक नोकिया मोबाईल जुमला कीमती 209000/– रू0 को आरोपीगण के नि ाानदेही पर जप्त किया गया है। साथ ही आरोपी अरसद हुसैन उर्फ मोनू द्वारा चोरी किए गए एक नग मोटर सायकल सीजी 07 एलएच 4439 को उसके भाई राजू खान के कब्जे से जप्त किया गया है तथा उसे भी प्रकरण आरोपी बनाया गया है। चोरी के पश्चात् आरोपीगण मोटर सायकल का नंबर बदलकर उसका इस्तेमाल करते थे साथ ही पुलिस से बचने उसके नंबर प्लेट पर हरा एवं केसरी रंग का स्टीकर चिपका दिये थे , ताकि पकड़े जाने पर स्वयं को भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बताकर पुलिस से बच सके।

सम्पर्ण कार्यवाही में क्राईम ब्रांच के प्र.आर. चन्द्रशेखर सोनी , भानूशंकर साहू , रमाशंकर सिंह आर0 सगीर खान , दिनेश सिंह , दिलबाग सिंह थाना सुपेला के सउनि ई वर लाल , प्र.आर. समित मिश्रा , नरेश आडिल , छावनी के सउनि कार्तिक राम साहू , पुरानी भिलाई के प्र0आर0 गगन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * i/l&&ukV * @@

fnukd 8@02@2011

Økbe ckp dh dk;lokgh
pu] yVjk fxjkg d 9 lnL; idMk;
04 pu Lufpx d ekey dk [kyklk yxHkx 2 yk[k :0 d lku d toj cjken
?kVuk e i;Dr rhu ekVj lk;dy cjken

& & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & &

दुर्ग भिलाई भाहर में चेन स्नेचिंग की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग श्री अमित कुमार (भा0पु0से0) के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री एम.एल.कोटवानी, उप पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री आर. के. चौबे के मार्गद र्न में क्राईम ब्रांच प्रभारी श्री सत्यप्रकाश तिवारी एवं टीम को विशेष रूप से दुर्ग भिलाई में हो रही चेन स्नेचिंग को पकड़ने हेतु तथा मोटर सायकल में चलने वाले कम उम्र के लड़को के उपर अधिकाशतः पढ़ने वाले बच्चों के उपर निगाह रखने हेतु निर्देशित किये थे। जिस पर भिलाई क्षेत्र में मुखबीर की सूचना पर से पढ़ने वाले 9 लड़के कम उम्र के 17 से 22 साल के बच्चे चेन स्नेचिंग में पकड़ाये जिनसे तीन मोटर सायकल भी बरामद हुआ है तीनों मोटर सायकल घटना में भामिल आरोपीगण के है।

दिनॉक 16/01/2011 को प्रार्थी पी.पी.तिवारी उम्र 65 साल साकिन दुर्ग ने भिलाई नगर थानें में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वे अपने पत्नि के साथ मोटर सायकल से सेक्टर 9 भिलाई चौक से सेक्टर 6 भिलाई आ रहे थे उसी समय दो अज्ञात मोटर सायकल में सवार लड़को ने उनके पत्नि के गले से सोने की चेन वजनी लगभग 27 ग्राम का लूट लिया था मुखबीर की सूचना पर प्रकरण में लूट में भाामिल योगे ा पाण्डेय आ0 सीताप्रसाद पाण्डेय उम्र 18 साल साकिन रिसाली सेक्टर भिलाई एवं मनी ा तेता आ0 मुरहा राम तेता उम्र 19 साल साकिन सी पांकेट मरौदा भिलाई को घटना में प्रयुक्त वाहन हंक मोटर सायकल सीजी 07 एलबी 3087 एवं लूटी गई चेन वजनी 23 ग्राम को जप्त किया गया है भोष टुकड़े को आरोपियों ने घटना स्थल पर टूट कर गिर जाना बताया है।

इसी प्रकार दिनॉक 30/01/2011 को देहली पब्लिक स्कूल शिक्षिका श्रीमति दुर्गा बेनर्जी पति ए.के. बेनर्जी साकिन सेक्टर 10 भिलाई के गले से दिन में लगभग 1:30 बजे आरोपी अलोक कत्लम आ0 रमेश कत्लम साकिन रिसाली सेक्टर भिलाई एवं ललित चन्देल आ0 स्वं. लक्ष्मी चन्देल उम्र 21 साल साकिन रिसाली सेक्टर भिलाई के द्वारा मोटर सायकल पल्सर सीजी 07 एलपी 3661 से सेक्टर 10 भिलाई सड़क 21 में चेन की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था उक्त चेन को आरोपियों द्वारा अपने दोस्त हरी ांकर यादव आ0 अवधेश यादव उम्र 18 साल साकिन ई पाकेट मरोदा भिलाई के पास से छुपा कर रखा गया था। हरी ांकर यादव के निशानदेही पर सोने की चेन वजनी लगभग 15 ग्राम को जप्त किया गया है।

इसी प्रकार दिनॉक 30/01/2011 को ही नेहरू नगर पि चम से प्रार्थिया वनमाला साहू पति कमता प्रसाद साहू उम्र 50 साल के गले से चेन लूटने वालो दो आरोपी रजत जैन उर्फ अभिषेक आ0 सजीव जैन उम्र 17 साल साकिन वीआईपी नगर भिलाई एवं अतुल पाण्डेय आ0 राके ा पाण्डेय उम्र 20 साल साकिन केम्प 1 छावनी को घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल हंक सीजी 07 एलडब्लू 5967 सहित पकड़ा गया। अतूल पाण्डेय के निशादेही पर लुटा गया चेन महे वरी ज्वलेर्स उतई के संचालक संजय रांठी से जप्त किया गया है। प्रकरण में लूट के माल खरीदने वाले संजय रांठी के विरूद्व भी कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार दिनॉक 31/01/2011 को लगभग 3:00 बजे सेक्टर 7 भिलाई के प्रार्थिया श्रीमति पूर्णिमा पति लक्ष्मीपति राजू उम्र 35 साल साकिन सेक्टर 7 भिलाई के गले से सोने की चेन मय लाकेट को छिनने वाले दो आरोपी क्षैलेन्द्र खरे आ0 मोहित राम खरे उम्र 18 साल साकिन रिसाली सेक्टर भिलाई एवं अतुल सिंग आ0 विनोद सिंग उम्र 17 साल साकिन वीआईपी नगर रिसाली भिलाई को मय घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल पल्सर सीजी 07 एल पी 3661 जो अतुल सिंह के है मय वाहन के गिरफ्तार किया जाकर घटना में लूटी गई चेन , मय लाकेट के वजनी लगभग 55 ग्राम को आरोपी क्षैलेन्द्र खरे की निशानदेही पर बरामद किया गया है।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में आरोपीगण आपस में दोस्त है तथा पेपर एवं टेलीविजन में चेन स्नेचिंग की घटनाओं के बारे में पढ़कर , देखकर चेन स्नेचिंग की योजनाए बनाकर चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देते थे। चारों प्रकरणों में जप्त भुदा सोने की ज्वेलरी कीमती लगभग 2,00,000/–रू0 की है। आरोपियों से अन्य चेन स्नेचिंग के संबंध में पुछताछ की जा रही है।

इस सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि दयाशंकर पाण्डेय , प्र0आर0 राजेश पाण्डेय , गुप्तेश्वर यादव , रमाशंकर सिंह , अशोक यादव , आर0 जागेश्वर वर्मा , ज्ञानदत्त मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, प्रदीप सिंह की भूमिका सराहनीय रही।

@@ * i`sl&&ukV * @@

fnukad&& 23@1@2011

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

Øksbe czkap ,oa uoobZ iqfyl dh l;qDr dk;Zokgh

Fkkuk uoobZ esa nks cPpksa dh gR;k ds izdj.k esa gR;kjk firk fxj¶rkj

& && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&

दिनॉक 13/05/2009 को प्रार्थी (मामा) सुनील सिंह आ0 स्वं. वैधनाथ सिंह ने थाना नेवई में उसका भांजा , भान्जी अं ु उम्र 7 साल एवं कुमारी रूची उम्र 5 साल के गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर गुम इन्सान क्रं. 16/2009 पंजीबद्व कर पता ताला ा में लिया गया पतासाजी के दौरान दिनॉक 13/05/2009 को दोनों बच्चों का भाव ीतला मंदिर नेवई तालाब में पाया गया। चूंकि घटना स्थल तालाब की दूरी उनके रहवासी मकान से लगभग 1 किलो मीटर दूर है। तथा बच्चों का अकेले वहॉ जाना संभव नहीं था। अतः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार(भा0पु0से0) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री एम.एल.कोटवानी एवं सीएसपी भिलाई नगर श्री आर.के भट्ट के मार्गद न में थाना नेवई एवं क्राईम ब्रांच की सयुक्त टीम द्वारा हत्या की अंशका के मद्दे नजर घटना की जांच प्रांरभ की गई इसी दौरान खुलासा हुआ कि बच्चों के पिता वरूण सिंह आ0 केसरी सिंह का उसकी बड़े भाई की साली से अवैध संबंध है। चूंकि आरोपी की पत्नि ज्यादा पढ़ी लिखी नही थी तथा आधुनिक तरीके से नही रहती थी । अतः आरोपी अपनी पत्नि एवं बच्चों को रास्ते से हटाने के उदे य से सुनियोजित तरीके से घटना दिनॉक 12/05/2009 को दोनों बच्चो को तालाब में डूबो कर मार डाला तथा स्वयं को बचाने घुमने के बहाने रायपुर चला गया। पत्नि श्रीमति रिंचू देवी के बार–बार फोन करने के बावजूद बच्चो की तलाश में कोई रूची नहीं लिया। इस बीच आरोपी वरूण सिंह भिलाई इस्पत संयत्र से अपना स्थानांतरण बोकारो इस्पात संयत्र में करा लिया तथा उसने अपनी पत्नि को मारने का प्रयास किया। पत्नि रिंचू देवी की रिपोर्ट पर थाना सासाराम में आरोपी वरूण सिंह एवं उसके माता पिता के विरूद्व धारा 498 (ए) भादवि का अपराध भी पंजीबद्व है। पुरे घटना क्रम के बाद मर्ग जांच प चात् थाना नेवई में मृतक दोनों बच्चो के पिता वरूण सिंह आ0 केसरी सिंह उम्र 32 साल साकिन ग्राम कर्मा थाना सझौली जिला रोहतास बिहार के विरूद्व अपराध क्रं. 227/2010 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया अपराध कायमी पश्चात् आरोपी वरूण सिंह अपने एक दोस्त के साथ उसके साले सुनील सिंह की पत्नि नीतू सिंह के सेक्टर 6 स्थित मकान में बलात प्रवेश कर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव ड़ालने एवं नही मानने पर उसके घर में लूट पाट करने पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रं. 520/2010 धारा 394 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया है। मुखबीर की सूचना पर आरोपी वरूण सिंह आ0 केसरी सिंह उम्र 32 साल को सासाराम बिहार से क्राईम ब्रांच एवं नेवई की सयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है , जिसे आज दिनॉक 23/1/2011 को न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी में सउनि एफ.आर. भारती , प्र.आर. पूर्ण बहादूर , राजेश पाण्डेय , गुप्तेश्वर सिंह , अशोक यादव , आर. जागेश्वर वर्मा , खूबचंद बघेल की सराहनीय भूमिका रही।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * i`zl&&ukV * @@ fnukd 21@11@2010

& & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & &&

Økbe czkap dh dk;Zokgh
lsDVj ,oa [kqlhZikj {ks= ds pkjh ,oa udctuh ds nl izdj.k dk [kqyklk
nks 'kkfrj udctu idMs x;s
lksu&pkanh ds tojkr ,oa ,ylhMh] Vhoh] eksckby]
MhohMh Iys;j] gkefFk,Vj] ,oa eksVjlk;dy ler pkj yk[k dk eky cjken

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && & & & & & & & & & & & & & & & &&

भिलाई सेक्टर एरिया एवं खुर्सीपार क्षेत्र के सूने मकानो में ताला–तोड़कर सोने–चांदी के जेवरात एवं एलसीडी,टीवी, आदि धरेलू सामानों की चोरी होने की घटना में हो रही लगातार वृद्वि पर अंकुश लगाने एवं माल मुल्जिम पता तलाश करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग श्री अमित कुमार (भापुसे) ने काईम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रका ा तिवारी को सौंपा। अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री एम.एल. कोटवानी एवं उप पुलिस अधीक्षक (काईम) श्री आर.के. चौबे, के मार्गद नि में काईम ब्रांच की टीम द्वारा माल–मुल्जिम पता तलाश के हर–संभव प्रयास करते व सूत्रो से सतत् सम्पर्क रखते हुये सूचना पर आरोपियों तक पहुचने में सफलता हासिल करते हुये भिलाई–खुर्सीपार के शर्मा आश्रम पास लेबर कालोनी निवासी विक्की उर्फ विकास आ. स्व. कि ान लाल रैकवार 19 साल एवं जोन 2 बालाजी नगर खुर्सीपार निवासी के. अमूल राव आ. स्व. बाबू राव 19 साल को पकड़कर सघन पूछताछ करने पर भिलाई के सेक्टर एरिया एवं खुर्सीपार क्षेत्र में चोरी एवं नकबजनी के अपराध घटित करना कबूल करते हुये बताये कि दिसम्बर 2009 में सेक्टर–4 सडक–38 ए से एक मो.सा. हीरो होण्डा स्पलेण्डर सीजी 07 एलएच 5209 सीलवर कलर को चोरी किये थे जिसे बाद में काले रंग करा दिये है, जो विक्की के पास है। उस वाहन का उपयोग आरोपिगण ने चोरी की घटना को अंजाम देने में करना स्वीकार किया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी नंदकिशोर आ. ज्ञानिक बधेल सेक्टर–4 सडक–36 क्वा. 38–ए भिलाई कि रिपोर्ट पर थाना भिलाई भटटी में अपक्रं. 179/09 धारा 379 भादवि पंजीबद्व है। फरवरी 2010 में सेक्टर–4 भिलाई के एक बंद मकान का ताला तोड़कर डीवीडी, गिटार, पेन–ड्राईव, कैमरा, सोने–चांदी के जेवरात आदि चोरी किये थे, जिसमें प्रार्थी वृंदावन मलिक आ. स्व. रामचंद मलिक सा. सेक्टर 4 भिलाई की रिपोर्ट पर थाना भिलाई भटटी में अप कं. 14/10 धारा 457, 380 भादिव पंजीबद्व है। जुलाई 2010 में सेक्टर–4 सडक–35 के एक बंद क्वाटर का ताला तोडकर सोने–चांदी के जेवरात, घडी, कैमरा एवं नगदी रकम आदि चोरी किये थे। प्रार्थी जग्गनाथ गोस्वामी आ. स्व. बृजगोपाल गोस्वामी सेक्टर 4 सडक 35 क्वा नं 13 ए भिलाई की रिपोर्ट पर थाना भिलाई भटटी में अपक्रं. 99/10 धारा 457, 380 भादिव पंजीबद्व है। सेक्टर 4 सडक 30 में अक्टूबर 2010 को रात में क्वाटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे कि सामने क्वार्टर में आदमी आ जाने से बिना चोरी किये भाग गये थे। प्रार्थी प्रमोद आ. लालचंद राय की रिपोर्ट पर थाना भिलाई भटटी में अप कं. 159/10 धारा 457 भादवि पंजीबद्व है।

सेक्टर–2 एवन्यू के क्वार्टर में माह जुलाई 2010 के रात में बंद क्वाटर का ताला तोडकर सोने की अंगुठी, सोने का टॉप्स एव नगदी रकम चोरी किये थे, जिसमें प्रार्थी कुलदीप शर्मा आ. गंगा प्रसाद शर्मा सा. सेक्टर 2 एवन्यू क्वा नं 20 ए की रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में अप कं. 296/10 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्व है। माह अगस्त 2010 को सेक्टर 2 के एक बंद क्वार्टर का दिन में ताला तोड़कर अंदर से एक एलसीडी, एक मोबा. नोकिया कम्पनी का चोरी किये थे। प्राथी सच्चीदानंद दुबे आ. जी.एस. दुबे सा. क्वानं 23 डी सेक्टर 2 भिलाई की रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में अप.कं. 290/10 धारा 454, 380 भादवि पंजीबद्व है। माह अगस्त 2010 को रात्रि में जोन 2 खुर्सीपार के बंद क्वार्टर का ताला तोडकर अंदर रखे मिटटी के गुल्ला में भरे रूपये पैसे को चोरी किये थे, प्रार्थी विमल सु ाांत झा आ. गौरी ांकर झा सा.एमपी आर रोड क्वानं. 6 ई जोन 2 खुर्सीपार की रिपोर्ट पर थाना खुर्सीपार में अप.कं. 226/10 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्व है। इस घटना के बीस दिन बाद जोन 2 खुर्सीपार में बंद मकान का ताला तोडकर एक एलसीडी बडी, सीएफएल बल्ब, चांदी के सिक्का चोरी किये थे। प्रार्थी अकबर आ. शेख मगरूर 34 साल सा. जोन 2 खुर्सीपार की रिपोर्ट पर थाना खुर्सीपार में अप.कं. 333/10 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्व है। इसी रात में न्यू खुर्सीपार भिलाई के एक बंद मकान का ताला तोडकर सोने–चांदी के जेवरात, नगदी आदि चोरी किये थे। प्रार्थी दीपचंद आ. रामआश्रय सिंह (नवलकि ोर सिंह) सा. न्यू खुर्सीपार भिलाई की रिपोर्ट पर थाना खुर्सीपार में अप.कं. 334/10 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्व है। इसी प्रकार लक्ष्मण नगर छावनी में रात में बंद मकान का ताला तोड़कर एक टीवी, होम थिऐटर, 03 साउंड बॉक्स एवं डीवीडी चोरी किये थे। प्रार्थी रामअधिन आ. श्री किशोर शर्मा सा. लक्ष्मण नगर छावनी थाना खुर्सीपार की रिपोर्ट पर थाना खुर्सीपार में अप.कं. 19/11 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्व है।

पूछताछ पर उक्त दोनों आरोपी द्वारा उपरोक्त सभी दस अपराधों को घटित करना कबूल करते हुये मिले सोने–चांदी के जेवरात एवं अन्य सामान को आपस में बांट लेना बताया है एवं नगदी रकम को बांट कर खर्च हो जाना बताये है। दोनों आरोपी के कब्जे से उनके हिस्से का चोरी गया म ारूका सोने–चांदी के जेवरात एवं एलसीडी, टीवी, मोबाईल, गिटार, डीवीडी प्लेयर, होमथिऐटेर, घड़ी, मोटरसायकल आदि जुमला कीमती करीब 4,00,000/– का बरामद किया जाकर माल एवं मुल्जिम को अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित थानों के सुपूर्द किया गया है।

इस सम्पूर्ण कार्यवाही में काईम ब्राचं के सउनि– रामअवतार यदु, प्रआर.– हेमंत त्रिपाठी, पवन सिंह, राजकुमार दिवाकर, भानू ांकर, गुप्ते वर यादव, सुरेन्द्र सिंह, आरक्षक– राकेश चौबे, ज्ञानदत्त मिश्रा, दीपक गोस्वामी, परस साहू, प्रदीप सिंह, नरेश बंजारे, धर्मराज सिंह, बसंत, राधेलाल, अभिषेक कुमार, दुर्गेश कुमार, थाना खुर्सीपार के सउनि– बी.आर. साहू, एन.के. साहू आरक्षक– शिवबोधन यादव, थाना भिलाई नगर के प्र.आर.– राजेश नेगी, थाना भिलाई भटटी के उप निरी. एस.आर. लहरे, सउनि– डी.एल. साहू की भूमिका सराहनीय रही।

& & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & &&

@@ * i`zl&&ukV * @@

fnukad%&   17@1@2011

Fkkuk l|iyk d vijk/k Ø- 18@2011 /kkjk 420] 105@2010 /kkjk 420 Hkknfo

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

Hkkxyiij [kxfM+;k dk lku>jk fxjkg fxj¶r e

lkuk] pknh pedku d uke ij djr Fk tojkr ikj

150000@& :- dk lkuk cjken rhu vkjkih fxj¶rkj

Økbe czkp dh dk;okgh

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&

दुर्ग भिलाई में सोना चांदी चमकाने का प्रोडेक्ट घर–घर जाकर बेचने तथा जेवर चमकाने का तरीका बताकर घोखाघड़ी से जेवरात पार करने की शिकायते प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार (भा0पु0से0) ने क्राईम ब्रांच को सुरागरसी हेतु निर्दे ित किया था। सुरागरसी के क्रम में क्राईम ब्रांच की टीम ने बाहर प्रान्त से सोना चांदी का प्रोडेक्ट बेचने आए हुए लोगो का पता लगाना भुारू किया मुखबीर ने बताया कि गिरधरी नगर दुर्ग में कुछ संदिग्ध व्यक्ति रह रहे है जो मोटर सायकल से सबेरे निकलते है और देर रात को वापस आते है इनकी तस्दीक करने पर गिरधरी नगर में रह रहे 1. बेचन प्रसाद गुप्ता आ0 भूषण प्रसाद गुप्ता उम्र 30 साल साकिन गोविन्द्रपुर थाना गोगरी जिला खगड़िया बिहार 2. पंकज गुप्ता आ0 नरेश गुप्ता उम्र 26 साल साकिन गोविन्द्रपुर थाना गोगरी जिला खगड़िया बिहार 3. पवन भााह आ0 अनिरूध भााह उम्र 26 साल साकिन ग्राम एकडारा थाना कहलगांव जिला भागलपुर बिहार की गतिविधियॉ संदिग्ध पाई गई पुछताछ पर उन्होने बताया कि सोना चांदी चमकाने का प्रोडेक्ट बेचने के बहाने से घर–घर घुमते है। मौका पाकर पहले घर के बर्तन , चांदी का छोटा मोटा जेवर चमकार घर वाले का वि वास अर्जित करते है फिर सोने के जेवर चमकाने का प्रलोभन देकर सोने के जेवरात मगाते है। उसे कुकर में केमिकल के साथ डालकर गरम करने का निर्दे ा देकर सोना चांदी का जेवर चोरी कर लेते है। कुकर को 10–15 मिनट बाद खोलकर देखने पर सोना चांदी गायब मिलता है इस बीच झासा देकर आरोपीगण भाग जाते है। इन्होने भिलाई दिनॉक 10/1/2011 को दीक्षित कालोनी सुपेला में बृद्व दम्पत्ति एस कनका सेन के घर से सोने का चेन , अंगूठी , कंगन , तथा 6–7 माह पूर्व नेहरू नगर निवासी वृद्व दम्पत्ति हरि भांकर गुप्ता के घर से सोने की चेन , अंगूठी घोखाघड़ी कर लेकर फरार हो जाना कबुल किया है। आरोपियों से दो नग सोने का चेन , 2 नग अंगूठी , 2 नग कंगन जुमला कीमती करीब 6½ तोला कीमती 150000/– रू0 का सोना बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार चारों आरोपी अन्य मामलों में क्राईम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी के निर्देशन में पुछताछ जारी है। आरोपियों को पकड़ने में क्राईम ब्रांच के सउनि प्रमोद रूसिया , प्र0आर0 चन्द्र ोखर सोनी , अशोक साहू , सुरेश बनाफर , भानू ंकर , आर0 दिनेश सिंह , भरत यादव , दिलबाग सिंह , सगीर खान ,डीके ा सिन्हा , भावाबुद्द्दीन की भूमिका सराहनीय रही।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * i l&&ukV * @@

fnukd%& 10@01@2011

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

ixfr uxj] dEi 1 d vigr ckyd lR;thr d vigj.k ,o gR;k dh xRFkh ly>h
1 vkjkih fxj¶rkj] iMkl h gh fudyk gR;kjkA

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
&

दिनॉक 5/1/2011 को प्रार्थी रणजीत कुमार आ0 सर्वजीत कहार उम्र 25 साल साकिन क्वाटर नं0 83/बी प्रगति नगर , केम्प 1 जलेबी चौक छावनी द्वारा थाना छावनी मे रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका छोटा भाई सत्यजीत कुमार उम्र 10 वर्ष जो सेंट माइकल स्कूल केम्प 1 का पॉचवी कक्षा का छात्र है, दोपहर दो बजे से घर से गायब है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना छावनी में गुम इन्सान क्रं. 4/2011 कायम किया जाकर जॉच में लिया गया। जॉच के क्रम में दिनॉक 7/1/2011 को गुम ुदा बालक के घर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी भरा पत्र भेजा गया जिसमें रात तक 1 लाख रू0 नहीं देने पर सत्यजीत को जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिस पर थाना छावनी में अज्ञात आरोपी के विरूद्व अपराध क्रं. 20/2011 धारा 365 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार (भा0पु0से0) द्वारा अतिरक्त पुलिस अधीक्षक श्री एम0एल0 कोटवानी के मार्गदर्शन मे नगर पुलिस अधीक्षक छावनी यू.बी.एस.चौहान के नेतृत्व में थाना प्रभारी छावनी डी.एस.परिहार प्रभारी क्राईम ब्रांच सत्य प्रकाश तिवारी एवं कुल 12 सदस्यों की एक विवेचना टीम तैयार की गई। प्रकरण में विवेचना के दौरान प्राप्त धमकी भरे पत्र मे आरोपी द्वारा सत्यजीत कहार के पिता सर्वजीत कहार से एक लाख रू0 उसी गली के कूलर पर रात्रि में रख देने की बात लेख की गई थी। जिसे आधार बनाकर विवेचना टीम द्वारा विवेचना प्रांरभ की गई इस दौरान अपहृत बालक के आसपास के लोगो पर ध्यान केन्द्रीत कर लगभग 120 लोगों के हस्तलिपी लिये गऐ एवं अपहृत सत्यजीत के पड़ोसियों के गतिविधियों के संबंध मे पतासाजी की गई एवं आसपास के 50–60 संदिग्ध व्यक्तियों से पुछताछ की गई।

पतासाजी के क्रम में जानकारी मिली की सत्यजीत के पिता सर्वजीत एवं उसी स्ट्रीट में रहने वाले मुं ीराम के परिवार से लगभग 15 दिन पूर्व विवाद हुआ है साथ ही मुं ीराम के ऊपर कर्ज होने एवं पैसे की सख्त आव यकता की जानकारी मिली। साथ ही अपहृत बालक के सड़क में रहने वाले अजय कुमार आ0 मुं ीराम हरिजन उम्र 20 वर्ष की हस्तलिपी का मिलान करने पर उसका एवं प्राप्त धमकी भरे लेखन में काफी समानता मिली भाक के आधार पर अजय कुमार आ0 मुं ीराम से विवेचना टीम द्वारा पूछताछ की गई। पहले वह अपहृत बालक सत्यजीत के परिवार से अच्छे संबंध होने एवं सर्वजीत कहार को अपना मुंह बोला मामा होने की जानकारी दिया साथ ही स्वयं प्रार्थी के साथ जाकर रिपोर्ट करने एवं सत्यजीत की खोजबीन में लगे होने की जानकारी देकर गुमराह करता रहा लेकिन कड़ाई से पूछताछ पर वह अपना जुर्म कबुल कर लिया तथा घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उसके परिवार की माली हालत ठीक नहीं है तथा उसका परिवार कर्ज में डूबा हुआ है जिससे उबरने उसने सर्वजीत कहार के लड़के सत्यजीत का अपहरण कर उससे रकम वसूलने की दिसम्बर के आखिरी सप्ताह मे योजना तैयार किया तथा मौके की ताक में रहने लगा। दिनॉक 5/1/2011 को जब सत्यजीत मोहल्ले में दुकान से घर वापस आ रहा था तो उसने मिठाई एवं बिस्कीट खिलाने की बात कर उसे अपने साथ लगभग 2:00 बजे ले गया तथा छावनी, सुपेला, सेक्टर क्षेत्र में उसे साथ में घुमाता रहा। रास्ते में सत्यजीत को समोसे एवं कुरकुरे खिलाया तथा उसकी हत्या की नियत से लिंक रोड़ छावनी के राठी बुक डिपो से टेप एवं रस्सी खरीदा जिससे सत्यजीत को बांध कर हत्या कर सके एवं उचित समय व स्थान का इन्तजार करने लगा तथा अन्धेरा होते ही सत्यजीत को लेकर सेक्टर 6 जुबली पार्क के सामने जंगल में ले जाकर टेप से पहले सत्यजीत से अपना हाथ बंधवाया तथा खोलकर कर दिखाया फिर स्वयं सत्यजीत को बोला कि वह उसका हाथ पैर बांध रहा है उसे स्वयं खोलकर दिखाना है तथा टेप से सत्यजीत का हाथ पैर बांध दिया एवं एक पेड़ के सहारे उसे खड़ा कर रस्सी से उसका गला घोट दिया तथा मृत समझ कर सिमेन्ट के बने गटर में फेंककर टेम्पो से अपने घर वापस चला गया तथा सत्यजीत के परिजन के साथ मिलकर उसे ढुंढ़ने का बहाना करता रहा। सत्यजीत के पिता सर्वजीत कहार से पैसे ऐठने एवं धमकी भरे पत्र लिखकर दिनॉक 6/1/2011 की रात्रि में उसके दरवाजे पर छोड़ दिया जिसमे उसने अपने घर के बाजू कूलर पर दिनॉक 7/1/2011 की रात में सफेद कपड़े में लपेटकर 1000–1000 के नोट का बंडल रख देना लिखा था। विवेचना के दौरान विशेष टीम द्वारा अजय के सामान्य हस्तलिपी एवं धमकी भरे पत्र की हस्तलिपी की समानता पाये जाने पर उससे कड़ाई से पुछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबुल कर लिया। आरोपी अजय कुमार आ0 मुं ीराम उम्र 20 साल साकिन निवासी 83/बी प्रगति नगर केम्प 1 जलेबी चौक छावनी के नि ादेही पर अपहृत बालक सत्यजीत का भाव जुबली पार्क के सामने स्थित जंगल (सेक्टर 5 गटर) से बरामद कर लिया गया है एवं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

प्रकरण में अग्रिम विवेचना एवं पूछताछ हेतू आरोपी का पुलिस रिमाण्ड लिया जा रहा है प्रकरण की विवेचना एवं खुलासा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री एम.एल.कोटवानी , नगर पुलिस अधीक्षक छावनी श्री यू.बी.एस चौहान के नेतृत्व मे थाना प्रभारी छावनी डी.एस. परिहार क्राईम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रका ा तिवारी एवं टीम का सराहनीय योगदान रहा।

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

@@ * **il&&ukV** * @@

fnukd 2@01@2011

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

jk;iqj&nqxZ ds lkoZtfud forj.k iz.kkyh ¼PDS½ dh nqdku esa pksjh djus okys fxjksg dk inkZQk'k] fxjksg ds ljxuk lfgr 08 vkjksih fxjQrkj] pksjh ds 07 izdj.k dk [kqyklk] ?kVuk esa iz;qDr VkVk 207 ,oa 60 fDo- pkoy] 03 fDo- 'kDdj lfgr dqy 5-51 yk[k dk eky cjkenA

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

दुर्ग एवं रायपुर जिले में ¼**PDS**½ के भाासकीय राशन दुकान से चावल, भाक्कर एवं अन्य सामान के चोरी की बढती घटना के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री अमित कुमार (भापुसे) के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री एम.एल. कोटवानी एवं उप पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री आर.के. चौबे के मार्गद नि में क्राईम ब्रांच प्रभारी एस.पी. तिवारी एवं टीम द्वारा दुर्ग एवं रायपुर जिले में घुम–घुमकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। गिरोह का सरगना गोविन्द उर्फ गोसिन्गो आ. पुरंधर गाढ़ा 41 साल सा. केम्प 2 टाटा लाईन क्वां.नं. 121 के बाजू थाना छावनी एवं अचिन उर्फ कल्लू आ. ि ाव कुमार दुबे 23 साल सा. केम्प 1 भाारदा पारा थाना छावनी है, जो पूर्व में भी 27 चोरी के मामले में चालान किया गया है। दूसरा आरोपी अचिन उर्फ कल्लू दुबे पूर्व मे भी ¼**PDS**½ दुकान में चोरी के कई मामलो में भाामिल रहा है तथा कई मामलो में फरार है, जिसके विरूद्व कई गिरफ्तारी वारंट भी लंबित है।

उक्त दोनो गैंग सरगना के साथ प्रकरण में 1– नानू उर्फ राहुल सिंधी आ. मुरलीधर बगवानी 25 साल सा. तिल्दा 2– राजे ा उर्फ चुन्नू चन्द्रवं ी आ. महेन्द्र सिंह 23 साल सा. केम्प 2 बैकुंठधाम थाना छावनी 3– अभिमन्यू उर्फ मन्नू आ. सुरे ाराम 23 साल सा. बालाजी नगर खुर्सीपार 4– भांकर ठाकुर आ. फागुराम ठाकुर 22 साल सा. जेपी नगर भाारदापारा थाना छावनी 5– बलजीत सिंह उर्फ सन्नी आ. सतनाम सिंह 23 साल सा. सुभाश चौक थाना छावनी 6– सोनू सिंह आ. अमरीक सिंह 20 साल सा. कुम्हार पारा केम्प 2 छावनी को भी गिरफ्तार किया जाकर इनसे थाना रनचिरई के बेलहारी एवं थाना जामुल के ग्राम नवातरीया के ¼**PDS**½ दुकान से चोरी किये गये लगभग 60 क्वि. चावल, 03 क्वि. भाक्कर एवं चोरी में प्रयुक्त टाटा 207 डीआई वाहन को भी जप्त किया गया है, जप्त ुदा टाटा डीआई को भी आरोपीगण महासमुंद जिले के थाना पिथौरा से चोरी करना स्वीकार किया है। जप्त ुदा म ारूका का कुल मूल्य लगभग 5.51 लाख रूपये है। बरामद वाहन में आरोपीगण के विरूद्व पृथक से कार्यवाही की जा रही है जिससे चोरी का माल बरामद किया गया है। पूछताछ पर आरोपियों ने जिला रायपुर के थाना खरोरा के ग्राम माठ, ग्राम कनकी, ग्राम परसदा एवं ग्रम खोरसी में ¼**PDS**½ *d*s उचित मूल्य की दुकान एवं थाना तिल्दा नेवरा के ग्राम ताराि ाव के ¼**PDS**½ दुकान से लगभग 162 क्वि. चावल एवं 02 क्वि. भाक्कर चोरी करना बताया है जिनके संबंध में रायपुर पुलिस को कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया गया है। आरोपीगण ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया है कि वे ¼**PDS**½ दुकान को ही नि ााना बनाते थे क्योंकि दुकान गांव से अक्सर अलग–थलग रहते है जिससे दुकान में चोरी करने में आसानी होती थी साथ ही चोरी के पूर्व घटना स्थल का मुआयना कर लेते थे एवं घटना के एक–दो दिन पूर्व टाटा 207 डीआई वाहन की चोरी करते थे जिसका राशन दुकान चोरी में इस्तमाल के बाद लावारिस छोड़ देते थे। आरोपीगण विभिन्न प्रकरण में प्रयुक्त वाहन टाटा 207 डीआई क्रमशः थाना आरंग क्षेत्र रायपुर एवं थाना नांदघाट दुर्ग से चोरी करना भी स्वीकार किया है तथा चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद दोनो वाहन को क्रमशः थाना खरोरा के सेंचुरी सिमेण्ट फैक्ट्री पास एवं तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में लावारिस छोड देना बताये।

प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी में सउनि– दयाशंकर पाण्डेय, प्रआर.– राजकुमार, राजेश पाण्डेय, हेमंत त्रिपाठी आरक्षक– राकेश चौबे, प्रदीप सिंह, अखिलेश मिश्रा, ज्ञानदत मिश्रा की सराहनीय भूमिका रही।